

ISSN No. 2319 -9997

UGC Journal No. 64567 (Till July, 2018)

Year 2023, Volume 12: Issue: 01

JOURNAL OF NEHRU GRAM BHARATI UNIVERSITY (JNGBU)

A Peer Reviewed Bi-Annual Journal



Published By:

Nehru Gram Bharati

(Deemed to be University)

Kotwa-Jamunipur-Dubawal,

Prayagraj, 221505

Uttar Pradesh, India

E mail: jngbuald@gmail.com

Website : www.ngbv.ac.in

JOURNAL OF NEHRU GRAM BHARATI UNIVERSITY (JNGBU)

A peer reviewed Bi-annual Journal

Chief Patron
Shri J. N. Misra
Chancellor, NGB(DU)

Patron
Prof. S. K. Srivastava
Vice Chancellor, NGB(DU)

Co-Patron
Dr. S.C. Tiwari
Pro-Vice Chancellor, NGB(DU)

EDITOR-IN-CHIEF

Dr. Rudra Prakash Ojha

Director, Research Centre

Nehru Gram Bharati (Deemed to be University), Prayagraj, U.P., India

Email: rudra.ojha@ngbu.edu.in

EDITORIAL BOARD

- | | |
|--|---|
| Prof. R.C. Tripathi, Dean, Engineering and Technology, NGBDU | Prof. Brij Gopal, Dept of Environmental Science, JNU, New Delhi, India |
| Prof. Michel N. Boyom, IAMG, University of Montpellier, France | Prof. R.S. Pandey, Department of Zoology, A.U., Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Robert Saper, Boston University, USA | Prof. Shanthi Sundaram, Centre of Biotechnology, A.U., Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Julie K. Anderson, Buck Institute, U.S.A. | Prof. Anupam Dixit, Department of Botany, AU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. James Adams, University of Southern California, USA | Dr. S.K. Dwivedi, Fishery Survey of India, Mumbai, Maharashtra, India |
| Prof. Mulchand S. Patel, University at Buffalo, USA | Dr. Ambak Rai, Dept of Biotech, MNNIT, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Kishorchandra Gohil, University of California, Davis, USA | Dr. Vishnu Agrawal, Dept of Biotech, MNNIT, Prayagraj, U.P., |
| Prof. Krishnan Sriram, NIOSH, NJ, USA | Dr. Kafel Siddiqui, Dept. of Chemistry, NIT, Raipur, Chattishgarh |
| Prof. J. S. Tiwari, Dept. of Philosophy, (AU) | Dr. Ashish R. Mishra, Centre for Geospatial Technologies, SHUATS, Prayagraj |
| Prof. R. K. Sastri, Dept. of Sanskrit, (AU) | Prof. Rohit Ramesh, Dept. of Management, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Ram Kripal, Dept. of Physics, (AU) | Prof. K.M. Sharma, Ex-HOD, Dept. Commerce, (AU) |
| Prof. U.S.Rai, Dept. of Economics, (AU) | Prof. Vinod K. Pandey, Deptt. of Commerce, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. S.N.Srivastava, Dept. of Botany, NGBDU | Dr. R.C.Mishra, Dept.of Political Science, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. G.P.Dubey, Faculty of Ayurveda, IMS, BHU, Varanasi, U.P., India | Dr. Asheesh S. Mishra, Dept of Zoology, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Aruna Agrawal, Faculty of Ayurveda, IMS, BHU, Varanasi, U.P., India | Dr. Swapnil Tripathi, Department of Law, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. O. P. Upadhyay, Dept. of Pediatrics, BHU | Dr. Savyasachi, Department of Hindi, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. B.N.Mishra, Dept. of Neurology, IMS, BHU | Dr. Vindhya Vasini Prasad, Dept. of Physics, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Surendra Kumar Trigun, Dept. of Zoology, BHU | Er. Ambuj Kumar, Dept. of Physics, NGBDU, Prayagraj, U.P., India |
| Prof. Sukala Prasad, Dept. of Zoology, BHU | |
| Prof. S. K. Shankar, Dept. of Pathology, NIMHANS, Bangalore, Karnataka, India | |
| Prof. Dr. M.M.S.Bharath, Dept. of Pathology, NIMHANS, Bangalore, Karnataka, India | |
| Prof. Prakash Nautiyal, Dept of Zoology & Biotechnology, HNBGU, Srinagar, UK, India | |
| Prof. Kishor K. Deepak, Dept. of Physiology, AIIMS, New Delhi | |
| Prof. Jasbir Kaur, Ocular Biochemistry, RPC, AIIMS, New Delhi | |
| Prof. Rupesh Srivastava, School of Biotechnology, AIIMS, New Delhi | |
| Prof. U.C. De, Dept. of Mathematics, University of Calcutta, Kolkata, West Bengal, India | |

A Study on Role of Rural Entrepreneurship in India: Problems and Challenges

Indal Kumar

Department of Management
Nehru Gram Bharati Deemed to be University, Prayagraj
E-mail id: indal89@gmail.com
(Received: 12.01.2023, Accepted: 29.03.2023)

Abstract

In the new era of business, entrepreneurship development in the rural context is a challenge. According to 2011 Census 68.84% people are living in rural areas of India. People in rural areas suffer with unemployment, poor infrastructure facilities which may be solved with the development of the rural entrepreneurs. "Rural Entrepreneurship can be defined as entrepreneurship emerging at village level which can take place in a variety of fields of endeavor such as business, industry, agriculture and acts as a potent factor for economic development". But, these rural entrepreneurs are suffering with various problems like fear of risk, lack of finance, illiteracy, and competition from the urban entrepreneurs. Rural entrepreneurs

increase the standard of living and purchasing power of the people by offering employment opportunity to the people in villages. This paper is an attempt to understand the problems and challenges for rural entrepreneurship in the context of rural development in India and possible suggestions to overcome the problems.

Key Words: Rural entrepreneurs, Issues and Challenges, Rural Development

INTRODUCTION:

Rural entrepreneurs are those who carry out entrepreneurial activities by establishing industrial and business units in the rural sector of the economy. In other words, establishing industrial and business units in the rural areas refers to rural entrepreneurship. The important role of entrepreneurship as a driver of economic growth and diversification has

long been recognised at India. Entrepreneurship is also a key component of the India strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Entrepreneurship is an emerging research field that has gained importance in the recent years. India is the country of villages. Majority of the population are living in rural areas in India. People in rural areas suffer with unemployment, poor infrastructure facilities which may be solved with the development of the rural entrepreneurs. Rural entrepreneurs refer to those who carry out the business in rural areas with the utilization of local resources. But this rural entrepreneur is suffering with various problems like fear of risk, lack of finance, illiteracy, and competition from the urban entrepreneurs. Rural entrepreneurs increase the standard of living and purchasing power of the people by offering employment opportunity to the people in villages. In simple words, rural entrepreneurship implies entrepreneurship emerging in rural areas. Rural industries and business organisations in rural areas generally associated with agriculture and allied activities to agriculture. The changing global environment raises questions about the ability of traditional, small-scale businesses in rural areas to share the potential benefits offered by the changing environment. The rapid (though declining) population growth, coupled with even faster urbanization, creates increasing demands. In India, urban populations in general grow about twice as fast as the overall total, and it may exceed the size of rural populations. Such a major demographic trend challenges the capacities of some traditional small-scale businesses to cope with the increasing demands.

Rural Entrepreneurship in India “Rural Entrepreneurship can be defined as entrepreneurship emerging at village level which can take place in a variety of fields of Endeavour such as business, industry, agriculture and acts as a potent factor for economic development”. The entrepreneurs with their ability to scan, analyze and identify opportunities in the environment transform them into business proposition through creation of economic entities. They by channelizing the resources from less productive to move productive use create wealth. Through efficient and effective utilization of national resources, they act as catalysts for economic development and agents of social transformation and change. According to Joseph Schumpeter, the rate of economic progress of a nation depends upon its rate of innovation which in turn depends on rate of increase in the entrepreneurial talent in the population. Rural market understand People in rural India are spending more than those in urban areas, according to a study by Accenture, a multinational management consulting, technology services and oil company. Rural markets are becoming attractive for a number of reasons. Since 2000, per capita Gross Domestic Product has grown faster in India’s rural areas than in its urban

centres: 6.2 per cent CAGR (compounded annual growth rate) versus 4.7 per cent. Rural incomes are growing, and consumers are buying discretionary goods and lifestyle products, including mobile phones, television sets and two-wheelers. Between 2009 and 2012, spending in rural India reached \$69 billion, significantly higher than the \$55 billion spent by the urban population. The rush to rural markets is not a recent phenomenon and companies have been testing these markets for some time.

Opportunities in Indian Rural market: More than 750 million people and estimated annual size of the rural market.

Problems of Rural Entrepreneurship in India Entrepreneurs are playing very important role in the development of economy. They face various problems in day to day work. Paucity of funds: Most of the rural entrepreneurs fail to get external funds due to absence of tangible security and credit in the market. The procedure to avail the loan facility is too time-consuming that its delay often disappoints the rural entrepreneurs. Competition: Rural entrepreneurs face severe completion from large sized organizations and urban entrepreneurs. They incur high cost of production due to high input cost. Middlemen: Middlemen exploit rural entrepreneurs. The rural entrepreneurs are heavily dependent on middlemen for marketing of their products who pocket large amount of profit. Legal formalities: Rural entrepreneurs find it extremely difficult in complying with various legal formalities in obtaining licenses due to illiteracy and ignorance. Procurement of raw materials: Procurement of raw materials is really a tough task for rural entrepreneur. They may end up with poor quality raw materials, may also face the problem of storage and warehousing. Risk element: Rural entrepreneurs have less risk bearing capacity due to lack of financial resources and external support. Lack of technical knowledge: Rural entrepreneurs suffer a severe problem of lack of technical knowledge. Lack of training facilities and extension services crate a hurdle for the development of rural entrepreneurship. Lack of infrastructural facilities: The growth of rural entrepreneurs is not very healthy in spite of efforts made by government due to lack of proper and adequate infrastructural facilities. Poor quality of products: Another important problem is growth of rural entrepreneurship is the inferior quality of products produced due to lack of availability of standard tools and equipment and poor quality of raw materials. Negative attitude: The environment in the family, society and support system is not conducive to encourage rural people to take up entrepreneurship as a career. It may be due to lack of awareness and knowledge of entrepreneurial opportunities.

Challenges for Rural Entrepreneurs : Biggest Challenges in rural is Power Failure , Poor in Education, Financial Barriers Reaching rural customers: Skilled human Resources Problem , Technological Challenges ,Retaining rural customers ,Acquiring rural customers , The sales skills required , Lack in Infrastructure Opportunities for Rural Entrepreneurs , Social Rural Entrepreneurship Food for Work Program , Regional Rural Development Centers , National Rural Employment Program , Bank of Technology , Entrepreneurship Development Institute of India , Rural Innovation Funding , Crashed Scheme for Rural Development. Skills Required for Rural Entrepreneurs Skills are central to improve employability and livelihood opportunities, reduce poverty, enhance productivity, and promote environmentally sustainable development. Coordinated efforts are needed to develop an integrated approach that improves access to relevant, good quality education and training to all rural women and men.

REVIEW OF LITERATURE:

Review of literature, an overview of the relevant and important literature on the research areas under consideration in this study. A literature review distils the existing literature in a subject field; the objective of the literature review is to summarize the state of the art in that subject field. From this review of earlier and recent work, it becomes possible to identify areas in which further research would be beneficial.

Ahirrao Jitendra. (2013), opined that entrepreneurship is the dynamic process of creating incremental wealth, created by individuals who take the major risks in terms of equity, time and career commitment of providing value to some products or services.

Nandanwar ,Kalpana P. (2011). defined entrepreneurial attitude in terms of individual's tendency toward a specific thing and environment, target, analogous to inclination and factors affecting the formation of attitude. Saxena ,Sandeep. (2012).pointed out that the man who organizes the business unit and/or increases its productive capacity is an entrepreneur, Whereas, Santhi, N. and Kumar, S. Rajesh . (2011). defined the entrepreneurship as the ability to recognize and exploit economic opportunity. Entrepreneurship is the purposeful activity (including an integrated sequence of decisions) of an individual or group associated individuals Choudhary,Kishor. (2011), documented a brief discussion of rural industrialization in the prevailing economic situations and an overview of the kind of industrialization in rural economy. Patel, Brijesh and Chavda, Kirit.(2013). argued that rural entrepreneurship occurs in economically and socially depressed areas with inadequate infrastructure,

economic stagnation, low levels of education, low skilled workers, low income, and a culture not supportive of entrepreneurship D. Joel Jebadurai(2013). defined micro entrepreneur as a person who initiate production, takes decision, bears risks, involves, organize and coordinates the other factors in their own prevailing rural conditions, economic structure, social infrastructure and market forces. Bhuvanewari,.H. and Raju, S. (2014).explored the conceptual framework of rural area and rural entrepreneurship and discussed the need for rural entrepreneurship in India and the emerging entrepreneurs in the context of existing rural entrepreneurs in India.

OBJECTIVES OF THE STUDY

- To understand the significance of rural entrepreneurs in India.
- To study the problems faced in growth of rural entrepreneurs in India.
- To study the effort faced by rural entrepreneurs and recommendations to solve the problem

RESULTS AND DISCUSSION:

Present study and review of various literatures discuss the outcome of rural entrepreneurship in India. Many successful entrepreneurs are prospering in the cities who are hailing from rural areas. It is essential to have a balanced regional development of the country and to avoid the concentration of industry in one place. Rural areas must try for better utilization of human resources to improve the rural economy. Government has moral responsibility in designing, promoting, innovating rural entrepreneurial development programme for the up- liftment of the rural economy on which the urban economy is build upon. Government should encourage the rural population and try to a bridge the gap between the extended and remote communities. But here, the government is not playing the role sincerely. Always, all the times government has only concentrate on the urban industrialization and urban economy development. This is the right time the governments are changing their policy, and come forward with the more beneficial policies, schemes and subsidies for development of rural entrepreneurship as well as economy. Although agriculture today still provides income to rural communities, rural development is increasingly liked to enterprise development. Since national economies are more and more globalize and competition is intensifying at an unprecedented pace, affecting not only industry but any economic activity including agriculture, it is not surprising that rural entrepreneurship is gaining in its importance as a force of economic

change that must take place if many rural communities are to survive. However, entrepreneurship demands an enabling environment in order to flourish. It is quite clear that rural entrepreneurship cannot be developed without significant training. Therefore, instead of just schemes (financial and development) as the correct for entrepreneurship development an intensive training needs to be provided to the youth in rural India. What's required is to create a devoted team to take up rural entrepreneurship training as per integrated rural development program. To manage agricultural sector and non- enclave projects in rural areas, rural entrepreneurs need to apply entirely different management and administrative concepts. Otherwise we shall be only creating island of apparent prosperity in the ocean of rural poverty. Rural entrepreneurship is the answer to removal of rural poverty in India. Therefore, there should be more stress on integrated rural development.

CONCLUSION:

Rural entrepreneurs are certainly acted as a key figure in economic progress of India. They play a vital role in converting developing country into developed nation. In today's global market a country's economic policy environment must always be favourable for an organization to achieve efficiency. Economic policy of a country should also enable entrepreneurs to provide magical touch to an organization irrespective of public, private or joint sector in achieving innovativeness, speed, flexibility and also strong sense of self determination. Rural entrepreneurship plays an important role for economic development in developing countries such as that of India. Rural entrepreneurship helps in developing the backward regions and thereby removing poverty. Government should go for appraisal of rural entrepreneurship development schemes and programmes in order to uplift rural areas and thereby increasing economic development. Rural entrepreneur is a key figure in economic progress of India. Rural entrepreneurship is the way of converting developing country into developed nation. Rural entrepreneurship is the answer to removal of rural poverty in India. Therefore, there should be more stress on integrated rural development programs. The problem is that most of the rural youth do not think of entrepreneurship as the career option. Therefore, the rural youth need to be motivated to take up entrepreneurship as a career, with training and sustaining support systems providing all necessary assistance.

REFERENCES

1. Ahirrao Jitendra. (2013), *Entrepreneurship and Rural Women in India*, New Century, New Delhi.

2. Nandanwar ,Kalpana P. (2011). Role of Rural Entrepreneurship in Rural Development, *International Referred Research Journal*, 2(26), 66-72.
3. Saxena ,Sandeep. (2012).Problems Faced By Rural Entrepreneurs and Remedies to Solve It, *Journal of Business and Management*, 3(1), 10-16.
4. Santhi, N. and Kumar, S. Rajesh . (2011). Entrepreneurship Challenges and Opportunities in India, *International Journal of Industrial Engineering and Management Science*, 1(1), 20-30.
5. Choudhary,Kishor. (2011), Effect of Globalization on Rural Entrepreneurship in India, *Global Economic Research Journal*,1(3), 88-92.
6. Annual Reports, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.
7. Patel, Brijesh and Chavda, Kirit.(2013). Rural Entrepreneurship in India: Challenges and Problems, *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Management Studies*, 1(2), 28-37.
8. D. Joel Jebadurai(2013). An Overview of Problems of Rural Entrepreneurs in India, *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 2(7), 202-208.
9. Chakraborty, Dipanjan (2014). Socio-Economic Determinants of Growth of Rural Entrepreneurship in Sonitpur District of Assam-An Empirical Study, *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, 2(1), 26-34.

The Relationship between Monetary Incentives and Job Performance

Prof. Vinod Kumar Pandey¹ and Raj Kumar Maurya²

¹Department of Commerce, Professor, Nehru Gram Bharti (Deemed to be University) Prayagraj, U.P.

²Department of Commerce, Research Scholar, Nehru Gram Bharti (Deemed to be University) Prayagraj, U.P.

(Received: 11.02.2023, Accepted: 24.04.2023)

Abstract

This research paper examines **the relationship between monetary incentives and job performance**. It presents a literature review that synthesizes the current state of knowledge on the topic. The paper explores the various types of monetary incentives and their impact on job performance, as well as the factors that mediate or moderate the relationship between incentives and performance. The literature review draws on a range of studies from different fields, including psychology, economics, and management. The findings indicate that monetary incentives can be effective in improving job performance, but their effectiveness depends on several factors such as the type and amount of incentive, individual differences, and organizational factors. The paper concludes with some recommendations for future research on the topic. The relationship between monetary incentives and job performance has been a topic of interest in organizational psychology and management. Many employers use monetary incentives such as bonuses, commissions, and raises to motivate employees to perform at a higher level. However, the effectiveness of these incentives in improving job performance is not always clear. In this essay, we will review some of the research on this topic and discuss the results, implications, and conclusions.

Keywords: Monetary Incentives, Employee Loyalty, Job Performance.

1. INTRODUCTION:

In today's highly competitive and dynamic work environment, organizations are increasingly using monetary incentives as a means to motivate their employees and improve job performance. The use of monetary incentives is based on the assumption that employees will work harder and perform better if they are offered a tangible reward for their efforts. However, the relationship between monetary incentives and job performance is not straightforward, and several factors may influence this relationship. This paper aims to examine the literature on the relationship

between monetary incentives and job performance and provide a comprehensive overview of the current state of knowledge on the topic.

2. LITERATURE REVIEW

Job Performance: Performance of employees plays a major role in increasing the performance of organization and achieving competitive advantage. According to Mello (2014), there are number of factors that contribute in the success of organization however, human resource is the most crucial one. Today organizations are improving the performance of their employees by employing different Human Resource practices because Human resource practices are the major source of achieving competitive advantage (Çalışkan, 2010).

According to Motowildo, Borman, and Schmit (1997) judgmental and evaluative process are required to define performance it is not only define by the actions. Whereas, it is important to differentiate between behavioral aspect and outcome aspect of performance to conceptualize it (Roe, 1999)

Monetary Incentives: There are number of opinions related to monetary incentives. It is a management tool to motivate employees and increase their performance level (Joppe, Martin, & BA, 2001). Moreover, Hartman (1994) describes incentives as a compensation that an employer gives to their employees for their efforts. Incentives are tangible or intangible rewards that employer use to motivate an individual or group of people to behave in a certain way (Collins, Bronte-Tinkew, & Burkhauser, 2008). It is a variable payment that employer give to their employees on the basis of their outputs or on the basis of their achieved results (Banjoko, 2006). Besides, Monetary incentives are regarded as one of the components of the compensation package (Werner, 2001)

The empirical result showed a positive effect of monetary and non-monetary incentive on the job performance and satisfaction. On the basis of above-mentioned studies, the study proposes the following hypothesis:

H1: Monetary Incentives have a significant positive impact on job performance.

H2: Monetary Incentives are positively related to Employee job performance.

3. RESEARCH METHODOLOGY

Objectives:

- To understand the concept of Monetary Incentives
- To examine the Job performance values

- To evaluate the opportunities and challenges with monetary incentives.

Data collection and sampling:

The data for this research was collected from primary sources. Data was collected by distributing the questionnaires to company staff i.e. factory Employee and Office employee. About 150 questionnaires were distributed to the employees, based on convenience sampling techniques and a total of 136 questionnaires were gathered back giving a response rate of 90.67 percent that were later analyzed to see the results for the study. The reason for using quantitative way to collect data was to make sure that we get enough information from the sample so that we can accurately analyze it.

Research and instrument design:

This study is explanatory in nature because the main purpose of this study is to explain the relationship between monetary incentives and job performance.

4. IMPACT OF MONETARY INCENTIVES ON JOB PERFORMANCE

The impact of monetary incentives on job performance has been the subject of much research and debate. Some studies suggest that monetary incentives can be effective in motivating employees and improving job performance, while others argue that they can have negative effects on motivation, creativity, and job satisfaction. Here are some potential impacts of monetary incentives on job performance:

1. Improved motivation: Monetary incentives can provide a tangible reward for employees, which can improve motivation and encourage them to work harder and more efficiently. This is particularly true for tasks that are repetitive or require a high degree of effort.
2. Increased productivity: Monetary incentives can also be used to increase productivity by setting performance goals and rewarding employees who meet or exceed them. This can help to improve efficiency and reduce costs for the organization.
3. Improved quality: Monetary incentives can be tied to quality goals, encouraging employees to focus on delivering high-quality work.

This can help to improve customer satisfaction and reduce errors or defects.

4. Reduced absenteeism and turnover: Monetary incentives can also be used to reduce absenteeism and turnover by providing a financial incentive for employees to stay with the organization and meet attendance goals.
5. Negative impact on creativity: Some studies suggest that monetary incentives can have a negative impact on creativity by limiting the scope of work and reducing intrinsic motivation. This can be particularly true for complex or creative tasks that require a high degree of autonomy.
6. Negative impact on job satisfaction: In some cases, monetary incentives can also have a negative impact on job satisfaction by creating a competitive environment and leading to feelings of resentment or unfairness among employees who do not receive the same incentives.

The impact of monetary incentives on job performance depends on a range of factors, including the type of work being performed, the design of the incentive program, and the motivations of individual employees. While monetary incentives can be effective in improving job performance, they should be used carefully and in combination with other motivational strategies to ensure that they are aligned with the goals and values of the organization and its employees.

Research suggests that monetary incentives can be effective in improving job performance. For example, a study by Bonner et al. (2009) found that monetary incentives increased the effort and performance of employees working on a data-entry task. Similarly, a meta-analysis by Stajkovic and Luthans (2003) showed that incentive pay was positively related to job performance.

However, the effectiveness of monetary incentives depends on several factors. For example, the amount of the incentive may influence its impact on job performance. A study by **Gneezy and Rustichini (2000)** found that small incentives had little effect on performance, while larger incentives had a stronger impact. Similarly, individual differences such as personality, motivation, and experience may mediate the relationship between incentives and performance. For example, a study by Pierce et al. (1991) found that the effectiveness of incentives varied depending on individual differences in motivation.

Organizational factors may also moderate the relationship between incentives and performance. For example, the culture of the organization may influence employees' response to incentives. A study by **Lawler and Jenkins (1992)** found that incentive systems were more effective in organizations that had a performance-oriented culture. Moreover, the design of the incentive scheme may also impact its effectiveness. A study by **Decietal (1999)** found that incentives that were perceived as controlling had a negative impact on intrinsic motivation and performance.

The relationship between monetary incentives and job performance has been extensively studied in the field of organizational behavior and human resource management. The basic idea is that providing employees with financial rewards for good performance will motivate them to work harder and perform better.

There are different methods of providing monetary incentives for job performance, such as bonuses, commissions, profit-sharing, and merit pay. Bonuses are typically a one-time payment based on performance, while commissions are a percentage of sales generated by the employee. Profit-sharing involves sharing a portion of the company's profits with employees based on their performance, while merit pay is a permanent increase in base salary for employees who meet or exceed performance expectations.

Research has shown mixed results when it comes to the effectiveness of monetary incentives on job performance. Some studies have found that providing financial rewards can indeed increase motivation and lead to better performance, while others have found little to no correlation between the two. The effectiveness of monetary incentives may depend on a variety of factors, such as the nature of the job, the type of incentive used, and the individual differences of the employees.

One meta-analysis of 120 studies found a moderate positive correlation between monetary incentives and job performance. The study also found that the correlation was stronger for simpler tasks that required less cognitive effort, and weaker for more complex tasks that required higher cognitive effort. Additionally, the study found that the correlation was stronger for individual-based incentives (e.g., bonuses) than for group-based incentives (e.g., profit-sharing).

Overall, while monetary incentives can be effective in improving job performance in certain circumstances, they are not a universal solution for all situations. Employers should carefully consider the nature of the job and the individual differences of their employees when deciding whether

to use monetary incentives and which type to use. Additionally, it's important to ensure that the incentives are designed in a way that is fair and equitable for all employees, as unfair or unequal incentives can lead to resentment and decreased motivation.

5. CONCLUSION:

The literature review presented in this paper suggests that monetary incentives can be effective in improving job performance, but their effectiveness depends on several factors. The type and amount of incentive, individual differences, and organizational factors may mediate or moderate the relationship between incentives and performance. Future research should investigate the mechanisms through which incentives influence job performance and explore the optimal design of incentive schemes in different contexts. Moreover, research should examine the long-term effects of monetary incentives on employee motivation, job satisfaction, and retention.

RESULTS:

Research has found that monetary incentives can improve job performance, but the magnitude of the effect varies depending on the context and the individual. For example, a study by **Latham and Baldes (1975)** found that monetary incentives were more effective in improving the performance of simple and routine tasks than complex and creative tasks. Similarly, a study by **Deci, Koestner, and Ryan (1999)** found that monetary incentives could undermine intrinsic motivation and reduce performance on tasks that required creativity or problem-solving.

Another factor that affects the effectiveness of monetary incentives is the individual's motivation and goals. For individuals who are primarily motivated by financial rewards, monetary incentives may be more effective in improving job performance. However, for individuals who value other aspects of their work, such as autonomy, recognition, and personal growth, non-monetary incentives may be more effective.

REFERENCES

1. Ariely, D., Gneezy, U., Loewenstein, G., & Mazar, N. (2009). Large stakes and big mistakes. *The Review of Economic Studies*, 76(2), 451-469.
2. Cameron, J., & Pierce, W. D. (1994). Reinforcement, reward, and intrinsic motivation: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 64(3), 363-423.
3. Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668.

4. Eisenberger, R., Armeli, S., & Pretz, J. (1998). Can the promise of rewards increase creativity? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(3), 704-714.
5. Gerhart, B., & Milkovich, G. T. (1990). Organizational differences in managerial compensation and financial performance. *Academy of Management Journal*, 33(4), 663-691.
6. Kohn, A. (1993). Why incentive plans cannot work. *Harvard Business Review*, 71(5), 54-63.
7. Staw, B. M. (1976). Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16(1), 27-44.
8. Tversky, A., & Kahneman, D. (1991). Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 1039-1061.
9. Wiersma, U. J. (1992). A meta-analytic review of the relationship between individual differences in goal-setting and performance. *Journal of Management*, 18(4), 595-612.
10. Lawler, E. E., & Jenkins, G. D. (1992). Strategic reward systems. *Ivey Business Journal*, 57(6), 49-53.
11. Lazear, E. P. (2000). Performance pay and productivity. *American Economic Review*, 90(5), 1346-1361.
12. Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting and task performance*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
13. Mazumdar, S., & Mazumdar, S. (2001). The influence of intrinsic and extrinsic motivation on employee engagement. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 37(4), 389-402.
14. Pfeffer, J. (1998). Six dangerous myths about pay. *Harvard Business Review*, 76(3), 109-119.
15. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.
16. Shalley, C. E., & Oldham, G. R. (1997). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? *Journal of Management*, 23(3), 355-379.
17. Thornton, R. L. (2002). The demand for, and impact of, learning HIV status. *American Economic Review*, 92(5), 182-188.
18. Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. New York, NY: John Wiley & Sons.

Effect of MGNREGA on Development of Women

Bhavna Gambhir¹ and Prof. Vinod Kumar Pandey²

¹Research Scholar, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University),
bhavna.gambhir031@gmail.com

²Dean Faculty of Commerce, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University),
vinod.pandey891@gmail.com

(Received: 13.03.2023, Accepted: 25.05.2023)

ABSTRACT

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act popularly known as MGNREGA is a Indian labour law that provides social security to rural people and aims to guarantee the “Right to Work”. MGNREGA was first proposed by P.V. Narasimha Rao in 1991. Later in September 2005, it was passed under the UPA Government of PM Dr. Manmohan Singh. Finally on 2th February 2006 MGNREGA was launched with the aim to improve livelihood of rural people by providing atleast 100 days of wage employment in a financial year to every adult member who volunteer to do unskilled work.

MGNREGA is one of the most largest social security programme of the world. It not just provide employment but also creates durable assets which help in Rural Development.

The aim of the study is to know the development of women through MGNREGA.

MGNREGA focuses on empowering rural women by ensuring that 33% of total workforce should be women. State has been continuously taking steps to increase participation of single and disabled women.

Under the scheme, employment is to be provided within 5 km of residence of beneficiary which helps to enhance participation of women.

Empowering women through the scheme leads to greater independence and improved self-esteem of women. And development of women helps in improving living standards of their families.

Keywords

MGNREGA, Employment of Women, Rural Women, Rural Development.

INTRODUCTION

Rural women plays an eminent role in rural development. They help in economic, social and environmental transformation which is required for growth of rural economy. Empowering women is important not just for sake of individual, families and community but for overall growth of economy as their participation is beneficial in economic development.

MGNREGA aims to provide equal opportunity to female as that of male as it is said “Given equal resources, women could contribute much more”.



Image Source : <https://nrega.nic.in/>

Poverty eradication is the key challenge for rural women. The scheme gives an opportunity to them to escape poverty. Through MGNREGA they get wage employment and get a chance to earn and improve their living standards.

MGNREGA has positively affected in employment and empowerment of rural women. Participation of women has improved over the period of time. Today rural women feel independence and secure.

**Table (1) : Showing Participation of Women in MGNREGA
(Financial Year 2019-20 to 2021-22)**

Year	Participation Rate of Women
2019-20	54.78%
2020-21	53.19%
2021-22	54.54%

Source : <https://nrega.nic.in/>

Table (1) shows that participation of women is more than 50% in the last 3 Financial Year.

Women’s participation in MGNREGA shows some unusual incidences like states such as Kerala, Tamil Nadu & Rajasthan which have less women participation in workforce recorded greater participation of women in MGNREGA.

**Table 2 : Showing Computation of Women Persondays
(Financial Year 2019-20 to 2021-22)**

Year	Computed Women Persondays (In Crore)
2019-20	145.36
2020-21	206.96
2021-22	187.38

Source : <https://nrega.nic.in/>

Table (2) shows computed women persondays from financial year 2019-20 to 2021-22.

It shows higher women persondays were completed in financial year 2020-21.

While men has an opportunity to migrate and work on the other hand women are left behind to work under MGNREGA. Women if given education, opportunity and support from their family and society they play an important role in growth of nation.

Majority of rural women are farm workers. They are not paid for this work as they work on their own farm. But with implementation of MGNREGA today women are paid for jobs like levelling of land, digging ponds, etc.

The study focuses on effect of MGNREGA on Development of Women.

Table (3) : Progress of MGNREGA in India

Total Number of Districts	734
Total Number of Job cards Issued (In CR)	16.56 Crore
Total Number of active workers (In CR)	15.28 Crore
SC workers against Active Workers (%)	19.89%
ST workers against Active Workers (%)	16.31%

Source : <https://nrega.nic.in/>

Table (3) shows that MGNREGA India has its coverage in 734 districts. Till now the scheme has issued 16.56 Crore job cards of which there are 15.28 crore active workers.

Total percentage of active SC and ST workers are 19.89% and 16.31% respectively.

OBJECTIVES OF THE STUDY

The main objectives of the study are as follows :

- To ensure that there is source of livelihood for weaker section of society.
- Aims to provide social problems protection to women living in rural areas.
- MGNREGA helps to reduce migration of labour from rural to urban areas.
- To know the effect of MGNREGA in development of women.
- To find out the issues and challenges that women face under MGNREGA.

METHODOLOGY

There is no role of primary source of data in this study. Just secondary data has been used for this study. Various journals, articles, newspaper, magazines and websites have been used for this study.



Image Source : <https://nrega.nic.in/>

EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH MGNREGA

LITERATURE REVIEW

Findings of various researchers addresses that there is positive impact of the scheme on women empowerment.

- Xavier G, Mari G (2014), due to participation of women under the scheme today around 68.3% women are using MGNREGA income to satisfy their consumption expenditure.

- Kaushal SL, Singh B (2016), MGNREGA is a powerful instrument for women empowerment in rural areas as it provides them social security.
- Venu babu Ch, Sudhakar G (2014), As per the women respondents today they are less dependent on their husbands.
- Shobha K (2015), the scheme has helped in improving the economic conditions of the women which is a sign of development. Today women beneficiaries had started helping their husbands in repaying debts.
- Sabanna Y (2016), this programme has improved the living standards of vulnerable section of society, especially women who are socially, politically and economically backward.
- Kant SV, Ashvine K (2013), women workers are satisfied with the scheme as it offers them equal wages to both men and women, and it's main agenda is to create economic independence among women.
- Ahangar GB (2014), wage equality for men and women helps to reduce the gender inequality. Now women get additional respect from family and society.

CHALLENGES IN MGNREGA

LITERATURE REVIEW

Singh MB (2012), Our nation is one of the largest developing nation in the world. Our economy majorly depends upon agriculture. Income generation in agriculture is not certain thus scheme like MGNREGA provides an opportunity of wage employment to have sustainable livelihood.

Following are the challenges to be considered :

- As per the data of NSSO, daily wages of women is less than that of men.
- Due to unavailability of funds it is difficult to meet the demand for employment.
- There is delay in payment of wages and no compensation is paid for delay.
- MGNREGA records delay in completion of work and the quality of assets created under scheme is not good.
- The scheme plays an important role in improving standard of living of people but there are areas for improvement as still there is

less contribution of women, incomplete target of 100 days of employment, no unemployment allowances for number of work days.

- Poor administration, planning skills, inadequate awareness, corruption, discrimination, delay in payment of wages, etc are the challenges in MGNREGA.

IMPACT OF MGNREGA

LITERATURE REVIEW

- Created positive impact on creating employment in rural areas.
- Higher agricultural income due to implementation of MGNREGA.
- Benefit to tribal people.
- Resulted in welfare of family as both men and women can contribute in household expenses, education of childrens and also greater savings.
- Involvement of women in the scheme has enabled them to come out of their house for work as well as to visit bank, market or panchayat offices.
- Today women enjoy the status of earning workers and it has helped in improving their confidence.
- Today women are accepted in their dual role of home makers and income earners.

Government should create more awareness in this regard to provide better opportunity for rural development concerning rural women.

CONCLUSION OF THE STUDY

This study of empowerment of women through MGNREGA, it's challenges, impact of MGNREGA have been discussed. Although the scheme focuses all rural population still it has definitely empowered women workers economically and socially.

Schemes can certainly encourage more women participation by creating awareness, proper planning, by improving worksite facilities, timely payment of wages and speedy grievance redressal.

LIMITATIONS OF THE STUDY

As the study is based merely on secondary data the reviews have been collected from published articles in National or International Journals. As

no primary data has been collected we can not generalize the study only on the secondary data collected.

REFERENCE

1. Xavier G, Mari G (2014) Impact of MGNREGA on Women Empowerment with special reference to Kalakkanmoi Panchayat in Sivagangai District, Tamil Nadu. *International Journal of Economics and Management Studies* 1: 1-5.
2. Kaushal SL, Singh B (2016) A study of Women participation in MGNREGA in Himachal Pradesh. *Productivity* 56: 382-391.
3. Venu babu Ch, Sudhakar G (2014) MGNREGA: Making Way for Social Change in Women's: A Case Study of Musunuru Mandal in Andhra Pradesh. *International Journal of engineering and Management Research* 4: 1-5.
4. Shobha K (2015) Inclusion of Female Labour Force in MGNREGA: A Micro Level Study *Socialomics* 4: 1-5.
5. Sabanna Y (2016) Women empowerment through MGNREGA in Karnataka. *Indian Journal of research* 5: 240-242.
6. Kant SV, Ashvine K (2013) Women empowerment through rural employment in Uttar Pradesh. *International Journal of Engineering and Management Sciences* 4: 144-148.
7. Ahangar GB (2014) Women empowerment through MGNREGA: Case study of block Shahabad of district ananthag, Jammu and Kashmir. *ABHINAV National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce and Management* 3: 55-62.
8. Singh MB (2012) MGNREGA: An Critical Assessment of Issues and Challenges. *The Indian Journal of Commerce* 65: 210.
9. Sharma RR, Manoj K (2012) MGNREGA: An Critical Assessment of Issues and Challenges. *The Indian Journal of Commerce* 65: 212.
10. Narasimha Reddy D, Amarender Reddy A, Bantilan MCS (2014) The impact of MGNREGA on Rural Labor Markets and Agriculture. *Indian Agricultural Research Institute* 13: 251-273.
11. Ahuja UR, Tyagi D, Chauhan S, Chaudhary RK (2011) Impact of MGNREGA on Rural Employment and Migration: A Study in Agriculturally-backward and Agriculturally-advanced Districts of Haryana. *Agricultural Economics Research Review* 24: 495-502.
12. Sarkar P, Jagdish K, Supriya (2011) Impact of MGNREGA on Reducing Rural Poverty and Improving Socio-economic Status of Rural Poor: A Study in Burdwan District of West Bengal. *Agricultural Economics Research Review* 24: 437-448.
13. Sarkar P, Jagdish K, Supriya (2011) Impact of MGNREGA on Reducing Rural Poverty and Improving Socio-economic Status of Rural Poor: A Study in Burdwan District of West Bengal. *Agricultural Economics Research Review* 24: 437-448.
14. <https://rural.nic.in>>press-release
15. pib.gov.in/participation-of-rural-women-in-MGNREGA
16. <https://nrega.nic.in>

Prospects of the Electromagnetic Dalitz Decays of Charmonium Mesons

Arti Mishra and V. Prasad

Department of Physics, Nehru Gram Bharati
(Deemed to be University), Prayagraj-221505
Email-artimishra2601@gmail.com
(Received: 07.02.2023, Accepted: 17.05.2023)

ABSTRACT

We calculate the branching fractions of the electromagnetic Dalitz decays $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ ($\psi = J/\psi, \psi(3686)$ $P = \pi^0, \eta, \eta', \eta_c, X(1835), X(2370), X(2120), X(2600)$ and $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- S$, ($S = (\chi_{c0,1,2})$) with a Vector Meson Dominance model including the intermediate resonances of ρ, ω , and ϕ , where ψ, P and S are vector, pseudoscalar and scalar mesons. The predicted branching fractions of these decays are well consistent with their experimental values except the branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+ e^- \pi^0$. The expected branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+ e^- \pi^0$ is significantly improved after including these intermediate resonances. An experimental information of $J/\psi \rightarrow e^+ e^- \pi^0$ in full di-electron invariant mass spectrum is desirable to understand its decay dynamics.

INTRODUCTION:

The electromagnetic Dalitz decays of charmonium mesons $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ proceed via $\psi \rightarrow \gamma^* P$, where $\psi (= J/\psi, \psi(3686))$ is a spin-1 vector meson, $P (= \pi^0, \eta, \eta', \eta_c)$ is a spin-0 pseudoscalar meson, $\ell^+ (= e^-, \mu^-)$ is lepton and γ^* is an off-shell photon [1]. The off-shell photon γ^* in these decays internally converts into a lepton-pair $\ell^+ \ell^-$. The four-momentum transfer square q^2 of the off-shell photon corresponds to the di-lepton invariant mass spectrum ($m_{\ell^+ \ell^-}$). The q^2 dependent decay rate of these decays can be deviated from the standard point-like prediction of the Quantum Electrodynamics (QED) due to dynamics of the electromagnetic structure arising at $\psi \rightarrow P$ transition vertex [2]. This deviation is formally described by a Transition Form Factor (TFF) [1]. The q^2 -dependent differential decay rate $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ normalized to the radiative decay $\psi \rightarrow \gamma P$ can be parameterized as [1],

$$\frac{d\mathcal{B}(\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P)}{dq \mathcal{B}(\psi \rightarrow \gamma P)} = \frac{2\alpha}{3\pi q} \left(1 - \frac{4m_\ell^2}{q^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\left(1 + \frac{2m_\ell^2}{q^2}\right) \left[\left(1 + \frac{q^2}{m_\psi^2 - m_P^2}\right)^2 - \frac{4m_\psi^2 q^2}{(m_\psi^2 - m_P^2)^2} \right]^{\frac{3}{2}} \times |F_{\psi P}(q^2)|^2$$

$$= \text{QED}(q^2) \times |F_{\psi P}(q^2)|^2 \quad (1)$$

where, m_ℓ , m_ψ and m_P are the masses of leptons, ψ and P mesons, respectively, α is fine structure constant and $\text{QED}(q^2)$ ($F_{\psi P}(q^2)$) is the q^2 dependent QED predicted decay rate (TFF).

Experimentally, the TFF can be accessible by comparing the di-lepton invariant mass spectrum of $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ with that of the point-like QED prediction [1]. Theoretically, it can be calculated using non-perturbative quantum chromodynamics (QCD) models [3,4,5,6,7]. For instance, the Vector Meson Dominance (VMD) model [8] reveals that the TFF governs the coupling of off-shell photon to vector V meson via other intermediate vector V' mesons in the time-like region [9]. In a simple pole approximation, the TFF is often expressed as [10,11],

$$F_{\psi P}(q^2) = \frac{1}{1 - q^2/\Lambda^2} \quad (2)$$

where, pole mass Λ is expected to be the mass of the vector meson near the energy scale of the decaying particle within the VMD model [12]. The inverse square value Λ^{-2} reflects the slope of the TFF at $q^2 = 0$.

The TFFs of EM Dalitz decays are used as an input in the calculation of hadronic-light-by-light (HLBL) contribution to the theoretical prediction of the anomalous magnetic moment, $a_\mu = (g_\mu - 2)/2$ [13], which provides an important avenue of low-energy test of the Standard Model (SM) [14, 15]. At present, there is a 4.2σ deviation between experimental and SM predicted values of a_μ [16].

The EM Dalitz decays have been well studied in light unflavored meson section, such as $\rho/\omega \rightarrow \ell^+ \ell^- \pi^0$ and $\phi \rightarrow \ell^+ \ell^- \pi^0/\eta$ [17, 18, 19, 20, 21]. But, till now, only few EM decays are studied in the charmonium sector [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30]. The charmonium EM Dalitz decays can provide additional insight on the coupling of charmonium states to the EM field. The branching fractions of $J/\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ and $\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ can be calculated using the data sample collected at J/ψ and $\psi(3686)$ resonances, respectively, by the BESIII experiment [31,32], which is an electron-positron collider experiment located at the Institute of High Energy (IHEP), Beijing, China.

Current Experimental status of EM Dalitz $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ decays:

By using 225 million J/ψ events, BESIII reported the first observation of the EM Dalitz decays of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$, $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta$ and $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta'$ decays, where π^0 is reconstructed with $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$, η meson with $\eta \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^0$ and $\eta \rightarrow \gamma\gamma$ channels and η' meson with $\eta' \rightarrow \pi^+\pi^-\eta$ and $\eta' \rightarrow \gamma\pi^+\pi^-$ channels [30]. BESIII has recently updated the results of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta$ [26] and $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta'$ [27] using 1.3 billion of J/ψ data, and also measured the TFF of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta$ for the first time [26]. The experimental results $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta$ and $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta'$ of the BESIII measurements agree well with their VMD predictions [8], which TFF value is assumed to be given by Eq. (2) with $\Lambda = 3.686 \text{ GeV}/c^2$. But there is a 2σ deviation between theoretically and experimentally measured branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ [30]. The branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ is measured to be $(7.56 \pm 1.32 \pm 0.50) \times 10^{-7}$, which has been produced for $m_{e^+e^-} < 0.4 \text{ GeV}/c^2$, by the BESIII experiment [30]. The new theoretical models, based on effective Lagrangian, QCD analysis and dispersion theories and taken into account the contributions of intermediate $\pi\pi$ states and light vector mesons, give new predictions for the branching fractions of $J/\psi \rightarrow e^+e^-P$ decays [33, 34]. The predicted branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ from these models is $(1.191 \pm 0.136) \times 10^{-6}$ [33], which seems to be much larger than its experimentally measured branching fraction [30]. Therefore, the contribution of intermediate resonances of ρ , ω , and ϕ resonances need to be taken into account to achieve a good agreement between experimentally measured and theoretically predicted branching fractions of $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ [33, 34]. A hypothetical dark gauge boson A' may also appear in EM Dalitz decay via $\psi \rightarrow A'P$, $A' \rightarrow \ell^+ \ell^-$ [12, 35]. The A' is a new type of force carrier in the simplest scenario of an Abelian U(1) interaction [36, 37, 38] to explain the features of recent astrophysical anomalies [39, 40, 41, 42]. But, recent BESIII measurements [26, 27] have ruled out this prediction and set a strong exclusion limit on the mixing strength between data photon and SM particles. Ref. [43] has calculated the expected number of events for these decays with recently collected 10 billion of J/ψ events and 2.7 billion of $\psi(3686)$ data by the BESIII experiment. These data samples can be utilized to improve the precision of Dalitz decays and study the behavior of their TFF versus $m_{\ell^+\ell^-}$. The objective of this paper is to perform the numerical study of EM Dalitz decays $\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ including their possible intermediate resonances and compare these results with the corresponding experimental measurements.

Formalism of the contribution of intermediate resonances:

As mentioned above that the TFF is governed by the intermediate resonances of light unflavored vector mesons ρ , ω , and ϕ in VMD model [8]. The branching fractions of $\psi \rightarrow V'P$ ($V' = \rho, \omega, \phi$) are much larger than the branching fractions of $\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ [44]. Therefore, the intermediate resonances of ρ , ω , and ϕ may appear in $\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ via $\psi \rightarrow V'P$, $V' \rightarrow \ell^+\ell^-$. Because of iso-spin conservation rule, only ρ contribution is expected to be dominant in $\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ decay. But, contributions of the iso-spin violating decay modes of $\psi \rightarrow \omega P$ and $\psi \rightarrow \phi P$ may also appear in $\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ decay. Because of iso-spin violation, the contribution of the ρ contribution is expected to be very small in comparison to ω , and ϕ resonance in $\psi \rightarrow e^+e^-\eta(\prime)$ decays. The amplitudes of $\psi \rightarrow V'P$ ($V' = \rho, \omega, \phi$) are set to be their product branching fractions $B(\psi \rightarrow V'P) \times B(V' \rightarrow \ell^+\ell^-)$ mentioned in Particle Data Group (PDG) [44]. The formula of Eq. (1) after including the intermediate resonance can be modified as,

$$\frac{d\mathcal{B}(\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P)}{dq} = (\sum_{V'=\rho,\omega,\phi} B(J/\psi \rightarrow V'P) \times B(V' \rightarrow e^+e^-) + \mathcal{B}(\psi \rightarrow \gamma P) \times \text{QED}(q^2)) \times |F_{\psi P}(q^2)|^2 \quad (3)$$

After integrating the formula of Eq. (3) with respect to q , one can get the branching fraction of $\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ as a function of $m_{\ell^+\ell^-}$.

EM Dalitz decays of $\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$: We compute the predicted branching fractions of $\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ after including the intermediate resonances of ρ , ω , and ϕ by integrating the formula of Eq. (3) with respect to q . The plots the expected branching fractions of $\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ as a function of $m_{\ell^+\ell^-}$ are shown in Fig. (1). The contributions of ρ , ω , and ϕ in this figure are described by their normalized probability density distribution function (PDF) of a Breit-Wigner function [44], where mass and widths of these resonances are taken from PDG [44]. Tables 1 and 2 summarize the predicted values of these processes including the intermediate resonances of ρ , ω , and ϕ for J/ψ and $\psi(3686)$ decays, respectively. The new predicted branching fractions of $J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-\pi^0/\eta/\eta'$ and $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\eta'$ seem to be much closer to their experimental results [26, 27, 28]. However, there is still a small discrepancy between experimental and predicted branching fraction numbers in the some of the decay modes, such as in the branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ [26]. Experimental information about the branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ in the full di-electron invariant mass spectrum is desirable to shed light on its decay mechanism. The branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\eta_c(1S)$ is still unknown experimentally. More recently, BESIII has measured the branching

fraction of $\psi(3686) \rightarrow e^+e^-\eta_c(1S)$ to be $(3.77 \pm 0.40 \pm 0.18) \times 10^{-5}$ [22], which is consistent with the predicted value within the uncertainty, as seen in Fig. 1 (right) and Table 2. Because of poorly measured branching fraction of $\psi(3686) \rightarrow \gamma\eta_c(2S)$ [44], we measure the branching fraction ratio $\frac{B(\psi(3686) \rightarrow e^+e^-\eta_c(2S))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma\eta_c(2S))}$ to 4.78×10^{-3} rather than the branching fraction of $\psi(3686) \rightarrow e^+e^-\eta_c(2S)$. The plot of branching fraction ratio $\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\eta_c(2S))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma\eta_c(2S))}$ versus $m_{\ell^+\ell^-}$ curve is shown in Fig. 2. The corresponding estimated branching fraction numbers are summarized in Table 2.




Fig. 1: The expected branching fractions of $J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ (left) and $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-P$ (right) as a function of $m_{\ell^+\ell^-}$ including the intermediate resonances of ρ , ω , and ϕ .

We calculate the branching fraction ratio $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+\ell^-X(n))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(n))}$ ($n = 1835, 2370, 2120, 2600$) due to unknown branching fractions of $X(n)$ and $\psi \rightarrow \gamma X(n)$ [44]. The spin-parity of $X(1835)$ is measured to be 0^{-+} [44], thus, it is a pseudoscalar meson. But, the nature of other $X(n)$ states are still unknown. These $X(n)$ are assumed to be a pseudoscalar during the calculation of branching fraction ratio $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+\ell^-X(n))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(n))}$ (Fig. 3). The corresponding branching fraction numbers are summarized in Tables 1 and 2 for J/ψ and $\psi(3686)$ decays, respectively. More recently, BESIII has reported the product branching fractions for $J/\psi \rightarrow \gamma X(n)$, $X(n) \rightarrow \pi^+\pi^-\eta'$ with the significance values of $15\sigma, 5.3\sigma, 7.3\sigma$ and 3.2σ for $X(1835)$, $X(2120)$, $X(2370)$ and $X(2600)$ resonances, respectively [22]. Measured branching fraction of $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+\ell^-X(1835))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(1835))}$ is consistent with its theoretical prediction [43] within 2σ uncertainty [22].





Fig. 2: The branching fraction ratio $\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \eta_c(1S,2S))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma \eta_c(1S,2S))}$ versus $m_{\ell^+ \ell^-}$ for $e^+ e^-$ (blue) and $\mu^+ \mu^-$ (red) channels.






Fig. 3: The plots of the branching fraction ratios of $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- X(1835))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(2120))}$, $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- X(2120))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(2120))}$, $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- X(2370))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(2370))}$ and $\frac{B(\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- X(2600))}{B(\psi \rightarrow \gamma X(2600))}$ versus di-lepton invariant spectrum curves for both electron-pair (blue) and muon-pair (green) decay channels. Left plots are for J/ψ data and right plots are for $\psi(3686)$ data.

Table 1: The estimated and experimentally observed decay rates for $J/\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- P$ ($P = \pi^0, \eta, \eta', X(1835), X(2120), X(2370), X(2600)$) based on Eq. (3) including the possible intermediate resonances of $\rho, \omega,$ and ϕ . The single pole approximation TFF with $\Lambda = 3.686 \text{ GeV}/c^2$ is used for this calculation. The uncertainty on the estimated decay rates is from the measured uncertainties of $J/\psi \rightarrow \gamma P$ and $J/\psi \rightarrow V'P$ ($V' = \rho, \omega, \phi$). Due to unknown branching fractions of $X(n)$ ($n = 1835, 2120, 2370$) decays, we compute the branching fraction ratios $\frac{B(J/\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- X(n))}{B(J/\psi \rightarrow \gamma X(n))}$, which don't include the intermediate resonances of $\rho, \omega,$ and ϕ . Because of unknown branching fractions of $J/\psi \rightarrow \gamma X(n)$ [44], the estimated results of $\frac{B(J/\psi \rightarrow \ell^+ \ell^- X(n))}{B(J/\psi \rightarrow \gamma X(n))}$ can't be directly compared with the recent BESIII measurements of corresponding decays [23].

Decay mode	e^+e^-		$\mu^+\mu^-$	
	Estimated	Observed	Estimated	Observed
$J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-\pi^0$	$(7.04 \pm 0.47) \times 10^{-7}$	$(7.6 \pm 1.4) \times 10^{-7}$	$(3.89 \pm 0.49) \times 10^{-7}$
$J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-\eta$	$(1.21 \pm 0.02) \times 10^{-5}$	$(1.42 \pm 0.08) \times 10^{-5}$	$(3.17 \pm 0.20) \times 10^{-6}$
$J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-\eta'$	$(5.59 \pm 0.07) \times 10^{-5}$	$(6.59 \pm 0.2) \times 10^{-5}$	$1.26 \pm 0.07) \times 10^{-5}$
$J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-\eta_c(1S)$	$(1.03 \pm 0.2) \times 10^{-4}$
$\frac{B(J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-X(1835))}{B(J/\psi \rightarrow \gamma X(1835))}$	9.83×10^{-3}	(1.62×10^{-3})
$\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-X(2120))}{B(J/\psi \rightarrow \gamma X(2120))}$	9.42×10^{-3}	1.24×10^{-3}
$\frac{B(J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-X(2370))}{B(J/\psi \rightarrow \gamma X(2370))}$	8.95×10^{-3}	8.38×10^{-4}
$\frac{B(J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-X(2600))}{B(J/\psi \rightarrow \gamma X(2600))}$	8.32×10^{-3}	3.76×10^{-4}

Table 2: The estimated and experimentally observed decay rates for $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-P$ ($P = \pi^0, \eta, \eta', X(1835), X(2120), X(2370)$) and $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\chi_{c_j}$ based on Eq. (3) and Eq. (4), respectively, including the possible intermediate resonances of $\rho, \omega,$ and ϕ . The single pole approximation TFF with $\Lambda = 3.7737 \text{ GeV}/c^2$ is used for this calculation. The uncertainty on the estimated decay rates is from the measured uncertainties of $\psi(3686) \rightarrow \gamma P$ and $\psi(3686) \rightarrow V'P$ ($V' = \rho, \omega, \phi$). Due to unknown branching fractions of $X(n)$ ($n = 1835, 2120, 2370$) decays, we compute the branching fraction ratios $\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-X(n))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma X(n))}$, which don't include the intermediate resonances of $\rho, \omega,$ and ϕ .

Decay mode	e^+e^-		$\mu^+\mu^-$	
	Estimated	Observed	Estimated	Observed
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\pi^0$	$(1.49 \pm 0.33) \times 10^{-8}$	$(4.80 \pm 1.29) \times 10^{-9}$
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\eta$	$(1.27 \pm 0.29) \times 10^{-8}$	$(5.28 \pm 1.50) \times 10^{-9}$
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\eta'$	$(1.37 \pm 0.05) \times 10^{-7}$	$(1.90 \pm 0.26) \times 10^{-6}$	$(3.46 \pm 0.11) \times 10^{-7}$
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\eta_c(1S)$	$(3.03 \pm 0.45) \times 10^{-5}$	$(3.8 \pm 0.4) \times 10^{-5}$	$(2.74 \pm 0.40) \times 10^{-4}$
$\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\eta_c(2S))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma\eta_c(1s, 2S))}$	4.77×10^{-3}

$\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- X(1835))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma X(1835))}$	(10.44×10^{-3})	(2.2×10^{-3})
$\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- X(2120))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma X(2120))}$	(10.17×10^{-3})	(1.94×10^{-3})
$\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- X(2370))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma X(2370))}$	(9.89×10^{-3})	(1.65×10^{-4})
$\frac{B(\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- X(2600))}{B(\psi(3686) \rightarrow \gamma X(2600))}$	(9.57×10^{-3})	(1.38×10^{-3})
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_0}$	$(7.79 \pm 0.16) \times 10^{-4}$	$(1.06 \pm 0.26) \times 10^{-3}$	$(9.20 \pm 0.19) \times 10^{-6}$
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_1}$	$(7.10 \pm 0.18) \times 10^{-4}$	$(8.5 \pm 0.6) \times 10^{-4}$
$\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_2}$	$(6.49 \pm 0.1) \times 10^{-4}$	$(7.0 \pm 0.8) \times 10^{-4}$

EM Dalitz decays $\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_{0,1,2}}$:

The spin-parity quantum number of $\chi_{c_{0,1,2}}$ is $J^{PC} = 0^{++}$, which comes from $L=S=1$ with charge $C = (-1)^{L+S}$, where L and S are orbital and spin angular momentums, respectively. They appear in the 3P_0 state. The $\chi_{c_{0,1,2}}$ states are different than the pseudoscalar meson of $J^{PC} = 0^{+-}$, which is actually 1S_0 state. Therefore, the decay rate of $\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_{0,1,2}}$ will be changed as [43, 45,46],

$$\begin{aligned}
& \frac{d\mathcal{B}(\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_{0,1,2}})}{dq\mathcal{B}(\psi(3686) \rightarrow \gamma \chi_{c_{0,1,2}})} \\
&= \frac{2\alpha}{3\pi q} \left(1 - \frac{4m_\ell^2}{q^2}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{2m_\ell^2}{q^2}\right) \left[\left(1 + \frac{q^2}{m_{\psi(3686)}^2 - m_{\chi_{c_{0,1,2}}}^2}\right)^2 - \frac{4m_{\psi(3686)}^2 q^2}{(m_{\psi(3686)}^2 - m_{\chi_{c_{0,1,2}}}^2)^2} \right]^{\frac{1}{2}} \times |F_{\psi P}(q^2)|^2
\end{aligned} \tag{4}$$

We calculate the expected branching fractions of $\psi(3686) \rightarrow \ell^+ \ell^- \chi_{c_{0,1,2}}$ using the formula of Eq. (4). Figure (4) shows the expected branching as a function of di-lepton invariant mass. The results are summarized in Table 1. The obtained expected branching fractions of

$\psi(3686) \rightarrow e^+e^-\chi_{c0,1,2}$ are consistent with their experimental observations within the uncertainties [29].




Fig. 4: The expected branching fractions for $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\chi_{c0,1,2}$ as a function of di-lepton invariant mass spectrum for both electron-pair and muon-pair decay channels.

Summary and future prospects: We study the EM Dalitz decays of $J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$, $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-P$ and $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\chi_{c0,1,2}$ using a single pole approximation. The contributions of intermediate resonances ρ , ω , and ϕ are also considered the expected branching fractions of these EM Dalitz decays. We use the pole mass values of 3.686 GeV/c² and 3.773 GeV/c² for the EM Dalitz decays of $J/\psi \rightarrow \ell^+\ell^-P$ and $\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-P$ ($\psi(3686) \rightarrow \ell^+\ell^-\chi_{c0,1,2}$), respectively. The calculated branching fractions of some known decay modes $J/\psi \rightarrow e^+e^-P$, $\psi(3686) \rightarrow e^+e^-\eta'/\eta_c(1S)$ and $\psi(3686) \rightarrow e^+e^-\chi_{c0,1,2}$ are well matched with their experimental values [22, 23, 24,25,26,27,28,29,30] except the branching fraction of $J/\psi \rightarrow e^+e^-\pi^0$ [30]. This discrepancy might be appeared due to not taking care of well-known $\rho-\omega$ interference contribution in our calculation. The branching fractions of $\psi \rightarrow \mu^+\mu^-P$ are still unknown. The branching fractions of these decay modes can be explored by using the large statistics of the data collected at J/ψ and $\psi(3686)$ resonances by the BESIII experiment. A precise experimental information of the TFF of corresponding decays is also desirable to reduce the theoretical uncertainty in hadronic light-by-light scattering of anomalous magnetic moment of muon [13, 14,15,16].

REFERENCES:

1. L.G. Landsberg, Phys. Rep. (Rev. Sect. of Phys. Lett.) **128**, 301–376 No. 6 (1985); L. G. Landsberg, Sov. Phys. Usp. **28**, 435 (1985).
2. N. M. Kroll and W. Wada, Phys. Rev. **98**, 1355 (1955).
3. N. N. Achasov and A. A. Kozhevnikov, Int. J. Mod. Phys. A 7, 4825 (1992) [Sov. J. Nucl. Phys. 55, 449 (1992)].
4. F. Klingl, N. Kaiser and W. Weise, Z. Phys. A 356, 193 (1996).
5. Faessler, C. Fuchs and M. I. Krivoruchenko, Phys. Rev. C 61, 035206 (2000).
6. Terschlusen and S. Leupold, Phys. Lett. B 691, 191 (2010).
7. S. Ivashyn, Prob. Atomic Sci. Technol. 2012N1, 179 (2012)
8. J. J. Sakurai, Currents and mesons, University of Chicago Press, Chicago, USA, 1969.
9. V. M. Budnev and V. A. Karnakov, Pis'maZh. Eksp. Teor. Fiz. **29**, 439 (1979) [JETP Lett. **29**, 398 (1979)].
10. D. Becirevic and A. B. Kaidalov, Phys. Lett. B **478**, 417 (2000).
11. T. Becher and R. J. Hill, Phys. Lett. B **633**, 61 (2006).
12. J. Fu, H. B. Li, X. Qin, and M. Z. Yang, Mod. Phys. Lett. A **000**, 1250223 (2012).
13. G. Colangelo, M. Hoferichter, B. Kubis, M. Procura, and P. Stoffer, Phys. Lett. B **738**, 6 (2014); G. Colangelo, M. Hoferichter, M. Procura, and P. Stoffer, J. High Energy Phys. **09**, 074 (2015).
14. F. Jegerlehner and A. Nyffeler, Phys. Rep. **477**, 1 (2009).
15. Nyffeler, Phys. Rev. D **94**, 053006 (2016).
16. Abi et al. (Muon g-2 Collaboration), Phys. Rev. Lett. **126**, 141801 (2021).
17. R. R. Akhmetshin et al. (CMD-2 Collaboration), Phys. Lett. B **613**, 29 (2005).
18. R. Araldi et al. (NA60 Collaboration), Phys. Lett. B **677**, 260 (2009).
19. M. N. Achasov et al. (SND Collaboration), Phys. Lett. B **504**, 275 (2001).
20. D. Babusci et al. (KLOE-2 Collaboration), Phys. Lett. B **742**, 1 (2015); A. Anastasi et al. (KLOE-2 19 Collaboration), Phys. Lett. B **757**, 362 (2016).
21. P. Adlarson et al. (A2 Collaboration at MAMI), Phys. Rev. C **95**, 035208 (2017).
22. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. D **106**, 112002 (2022).
23. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. Lett. **129**, 022002 (2022).
24. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. D **104**, 112012 (2021).
25. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. D **99**, 051101 (2019).
26. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. D **99**, 012006 (2019); Phys. Rev. D 104, 099901(E) (2021).
27. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. D **99**, 012013 (2019).
28. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Lett. B **783**, 452 (2018).
29. BESIII Collab. (M. Ablikim et al.), Phys. Rev. Lett. **118**, 221802 (2017).
30. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Phys. Rev. D **89**, 092008 (2014).
31. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Nucl. Instrum. Meth. A **614**, 345 (2010).
32. M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Chin. Phys. C **44**, 040001 (2020).

33. Y. H. Chen, Z. H. Guo and B. S. Zhou, Phys. Rev. D **91**, 014010 (2015).
34. B. Kubis and F. Niecknig, Phys. Rev. D **91**, 036004 (2015).
35. M. Reece, L. T. Wang, JHEP 0907, 051 (2009).
36. N. Arkani-Hamed, D. P. Finkbeiner, T. R. Slatyer and N. Weiner, Phys. Rev. D **79**, 015014 (2009).
37. D. P. Finkbeiner and N. Weiner, Phys. Rev. D **76**, 083519 (2007).
38. M. Pospelov, Phys. Rev. D **80**, 095002 (2009)
39. P. Jean et al., Astron. Astrophys. **407**, L55 (2003).
40. O. Adriani et al. (PAMELA Collaboration), Nature (London) **458**, 607 (2009).
41. M. Ackermann et al. (Fermi LAT Collaboration), Phys. Rev. Lett. **108**, 011103 (2012).
42. M. Aguilar et al. (AMS Collaboration), Phys. Rev. Lett. **110**, 141102 (2013).
43. J. L. Zhang, J. J. He, T. J. Zhu, S. Q. Xu, and R. M. Wang, Int. J. Mod. Phys. A **34**, 1950129 (2019)
44. R.L. Workman *et al.* (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).
45. V. Luchinsky, Mod. Phys. Lett. A **33**, 1850001 (2017).
46. Faessler, C. Fuchs and M. I. Krivoruchenko, Phys. Rev. C **61**, 035206 (2000).

बौद्ध कला में बाघ की गुफाओं का महत्त्व

विजय सिंह

प्राचीन इतिहास

E-mail id: drvijays771@gmail.com

(Received: 20.01.2023, Accepted: 27.04.2023)

भारतीय कला में बाघ की गुफाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। बाघ की गुफाएँ मध्यप्रदेश के धार जिला से लगभग 80 किलोमीटर और इन्दौर से उत्तर-पश्चिम में लगभग 140 कि० मी० की दूरी पर विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। यहीं पास में बाघिनी (बाघ) नदी सर्पाकार रूप में प्रवाहित होती है। इस गुफा की खोज वास्तु-कला विद्वान् लेफ्टिनेंट डेणरफील्ड ने की थी। जिन्होंने सन् 1818 ई. में सर्वप्रथम इन गुफाओं का परिचय बम्बई से प्रकाशित साहित्यिक विनमय संघ की पत्रिका में प्रकाशित किया।

बाघ की गुफाएँ बौद्ध धर्म का केन्द्र थीं। और महायान सम्प्रदाय से सन्दर्भित थी। इन गुफाओं का निर्माण बुद्ध के उपदेशों एवं प्रवचनों को श्रवण एवं बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु किया गया था।

बाघ की गुफाओं की सुरक्षा हेतु पुरातत्त्व विभाग ने इस पर समुचित ध्यान दिया। जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के चित्रों की सुरक्षा के निमित्त गुफा में सफाई कार्य करवाया गया तथा कई खिड़कियों तथा द्वारों को बंद कर दिया गया। तत्पश्चात् कला जगत् के प्रसिद्ध कलाकारों यथा स्व. नन्दलाल बसु, स्व. असित कुमार हल्दार, श्री ए. बी. भोंसले, सुरेन्द्रनाथ कर, बी. ए. आप्टे, बी. बी. जगपत एवं श्री एम. एस. भांड को यहाँ के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने का कार्य सौंपा गया। इन अनुकृतियों को ग्वालियर दुर्ग के गूजरी महल के बारहदरी में सुरक्षित किया गया है। इसके उपरान्त आरमीनियम चित्रकार 'सरकिस कचडोरियन' के द्वारा भी इस गुफा की प्रतिलिपियों को तैयार किया गया।

बाघ की गुफाओं की चित्रशैली अजन्ता के आधार रूप में ज्ञात होती है। यह गुफाएँ गुप्तकाल के श्रेष्ठतम् उदाहरणों में उल्लेखित की जा सकती है। यहाँ की चट्टान अत्यन्त मुलायम अथवा रेतीली थी। जिसके कारण इनमें मूर्ति निर्माण एवं लेख उत्कीर्णन आसान न था। अतः अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माध्यम चित्रकला ही रहा होगा।

बाघ की गुफाओं के निर्माण काल में यद्यपि काफी मतभेद रहें हैं। परन्तु कतिपय विद्वानों ने इन गुफाओं को अजन्ता की गुफाओं के समकालीन बताया है। फर्ग्युसन और बर्गस ने अपनी एक ही पुस्तक में दो बार भिन्न-भिन्न तिथियों का उल्लेख किया है। एक स्थान पर इसका निर्माणकाल 350 से 450 ई. तथा दूसरे स्थान पर 450 से 500 ई. उल्लेखित किया है। विन्सेण्ट स्मिथ ने बाघ की गुफाओं को अजन्ता की प्रथम तथा द्वितीय गुफा के समकालीन बताया है। और इसकी

तिथि 626-628 ई. वर्णित किया है। परन्तु बाघ की द्वितीय गुफा से प्राप्त 'महाराज सुबन्धु' के ताम्रपत्र से गुफा के निर्माण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य ज्ञात होता है। जिससे तिथि निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। इस ताम्रपत्र पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है। इस लेख के अनुसार महाराज सुबन्धु ने बुद्ध के माल्यावलि, गन्धधूप एवं भिक्षु संघ के ठहरने तथा 'शय्यासन भैषज्य' हेतु 'दासिलिकपल्ली' नामक ग्राम 'कलयन' (बाघ) नामक बिहार को दान में दिया। वर्तमान में इस ग्राम के कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं है। विद्वानों द्वारा 416-466 ई. महाराज सुबन्धु की तिथि निर्धारित की गयी है और यह अनुमान लगाया गया है कि महाराज सुबन्धु के काल में यह गुफा बनकर तैयार हुई। इस प्रकार चौथी-पाँचवीं शताब्दी इसका निर्माणकाल स्वीकारा जा सकता है।

इस गुफा में कुल नौ बिहार गुफाएँ थीं जिनमें सबसे उत्तम भित्ति चित्र चौथी एवं पाँचवीं गुफा के सामने की दीवार पर ऊपरी भाग पर निर्मित थे। परन्तु 20 खम्भों पर टिके 200 फुट आकार के बरामदे की छत गिर जाने के कारण यह चित्रित पैनल (15 फीट) नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त दर्षकों द्वारा किसी नुकीली चीज से बार-बार खुरचने एवं लिखने से भी इन चित्रों को अत्यन्त क्षति पहुँची। वर्तमान में प्राप्त चित्र अब क्षत-विक्षत अवस्था में उपलब्ध है।

बाघ की गुफाएँ भिन्न-भिन्न नामों से विख्यात हैं, इसके अन्तर्गत प्रथम गुफा 'गृह गुफा', दूसरी गुफा 'गुसाई गुफा' या 'पंच पाण्डू' गुफा एवं तीसरी गुफा 'हाथीखाना गुफा', चौथी गुफा 'रंग महल', तथा पाँचवीं 'पाठशाला' के नाम से जानी गयी। इनके अतिरिक्त अन्य तीन गुफाएँ (सातवीं, आठवीं और नौवीं) प्रचलित नहीं हैं, जिसका विशेष कारण इन गुफाओं के मार्ग के अवरुद्ध होने को कहा जा सकता है।

बाघ की प्रथम गुफा में कोई मूर्ति एवं चित्र नहीं प्राप्त होते हैं। परन्तु दूसरी गुफा में दीवारों पर मानवाकृतियों एवं छत पर बेल-बूटों का अलेखन था। जो वर्तमान में कालकलवित हो चुके हैं। गुफा संख्या तीन में पूर्व में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ विद्यमान थी परन्तु वर्तमान में मात्र आभा मण्डल ही दिखाई देते हैं। इस गुफा के कतिपय छोटे कक्षों में आभा मण्डलों के बीच बुद्ध की आकृतियाँ हैं। चौथी गुफा में पद्मासन मुद्रा में बुद्ध मूर्तियाँ हैं। इस गुफा का आकार चैत्य के अनुकूल है। इसमें एक चित्रित पैनल था जो गुफा संख्या पाँच तक विस्तृत था। छः चित्रों से सुसज्जित इस पैनल का एक टुकड़ा (45 फीट लम्बा तथा 6 फीट चौड़ा) प्राप्त है।

बाघ की गुफाओं में चौथी गुफा में सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। इस गुफा में दो चित्र द्वार के ऊपरी भाग में अंकित हैं। पहले दृष्य में दो स्त्रियाँ हैं, जिसमें से एक स्त्री दाहिने हाथ से मुँह को छिपाये हुए शोकाकुल मुद्रा में प्रदर्शित है। तथा दूसरी स्त्री को उसे सात्वना देते हुए चित्रांकित किया गया है। यहीं छेज्जे के छत पर प्रणय-प्रसंग के प्रतीक स्वरूप नीले रंग के दो कबूतर भी दृष्यांकित हैं। कतिपय विद्वानों ने इस दृष्य को 'बुद्ध के वियोग में यषोधरा' का दृष्य बताया है।

द्वितीय दृष्य में मंत्रणा करते हुए चार पुरुष अंकित हैं। इस आकृति में रंगों का सामंजस्य, नेत्रों के चितवन तथा हस्त्रमुद्राओं के सकेंत मनोहारी है। यह पुरुष

आकृतियों गले एवं हाथों में आभूषण धारण किये हुए हैं। इनमें दो आकृतियों के सिर पर मुकुट प्रदर्शित किया गया है। सम्भवतः यह दृष्य किसी राजपुरुष द्वारा बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के प्रसंग को प्रदर्शित करते हैं। तीसरे दृष्य में हवा में उड़ते हुए छः देव पुरुषों को दर्शाया गया है। जो किसी धर्माचार से वर्तालाप कर रहे हैं।

चौथे दृष्य में पाँच स्त्री आकृतियाँ प्रदर्शित हैं। जिनका मात्र कमर तक का भाग ही शेष रह गया है। इस दृष्य में एक आकृति के पास वीणा जैसा यंत्र है। जिसके कारण इस चित्र को गायिकाओं का दल कहा गया है। पाँचवे दृष्य में दो समूह में नृत्यांगनाओं एवं वादिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रथम आकृति समूह में एक पुरुष और सात स्त्री आकृतियाँ नृत्यरत मुद्रा में प्रदर्शित हैं। तथा द्वितीय आकृति समूह में एक लम्बे बाल वाले नर्तक को घेरे हुए छः गायिकाओं को चित्रांकित किया गया है। इनमें स्त्री आकृतियों में एक आकृति मृदंग तथा दो मंजीरे एवं तीन डण्डे बजा रहीं हैं।

छठे दृष्य में क्रमबद्ध रूप में सत्रह घुड़सवारों की आकृतियाँ अंकित हैं। इनमें एक आकृति के ऊपर छत्र है। यह दृष्य राजकीय जुलूस का प्रतीक होता है। सातवाँ दृष्य छः हाथी तथा तीन घुड़सवारों का है। घोड़ों पर सिपाहियों एवं हथियों पर राजपरिवार के व्यक्तियों को दर्शाया गया है। आठवें दृष्य में चार हाथी और तीन घुड़सवार विश्राम की मुद्रा में अंकित हैं। आम्र वृक्ष के छाया में धर्मचक्र तथा जल पात्र एवं नीला कपड़ा दृष्यांकित हैं। और पास ही एक वृक्ष के नीचे बुद्ध को उपदेश देते हुए दर्शाया गया है। परन्तु इस केले के वृक्ष के नीचे उपदेश ग्रहण करते हुए मात्र एक ही षिष्य को प्रदर्शित किया गया है।

पाँचवी गुफा में प्राप्त बुद्ध चित्रों के अब मात्र अवशिष्ट ही शेष रह गये हैं। इनके अतिरिक्त पुष्प-पक्षी, छोटे-बड़े फल तथा कमल की आकृतियाँ भी इस गुफा में चित्रित हैं। यहीं से प्राप्त 'मुर्गी और उसके चूजों' का चित्र कार्ल खण्डालावाला द्वारा प्रकाशित किया गया है।

बाघ की चित्रण शैली अजन्ता की चित्रण शैली से मिलती जुलती है। गुफा संख्या 4 के चौथे दृष्य में अजन्ता के समान ईरानी नीला रंग प्रयुक्त हुआ है। गुफा में चित्रकारी से पूर्व प्रथमतः चूने का पलस्तर चढ़ाया जाता था। इसके उपरान्त इस पर चित्रण कार्य किया जाता था। यहाँ रंगों की दो शैलियाँ प्रदर्शित हैं। जो भिन्न-भिन्न कालक्रमों को प्रदर्शित करती हैं। इन चित्रों में उभार एवं गहराई के लिए आस-पास गहरें रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त रंगों को चित्र में प्रयुक्त करने से पूर्व उनमें गोंद मिलाया जाता था। चित्रों में लाल, पीला तथा नीले रंगों का प्रयोग होता था। यहाँ उत्तम आलेखनों में काले, सफेद तथा हिरौंजी रंगों का प्रयोग हुआ है। आलेखन में लय तथा आकारों की दृष्टि से यह अजन्ता को भी पीछे छोड़ देते हैं। आलेखनों में कमलाकृतियाँ, लताएं तथा पुष्प अंकित हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों में हंस, कोयल, चकोर, बत्तख, सारस, आदि भी देखने को मिलते हैं।

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बौद्ध कला की दृष्टि से बाघ की गुफाओं का उल्लेखनीय स्थान है। यह गुफाएं जहाँ बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में प्रचलित थीं। वहीं बौद्ध कला की दृष्टि से भी यह अपना उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। यद्यपि यहाँ से प्राप्त चित्र अत्यन्त क्षत-विक्षत अवस्था में हैं। परन्तु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बाघ की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से विष्व कला जगत् निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ है। इस प्रकार बौद्ध कला की दृष्टि से बाघ की गुफाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, श्याम बिहारी 2000, भारतीय चित्रकला का इतिहास, रूपषिल्प प्रकाशन, इलाहाबाद.
2. पाण्डेय, जे0 एन0 2000, भारतीय कला, प्राच्य विद्या संस्थान, इलाहाबाद.
3. श्रीवास्तव, के. सी. 2004, कला तथा पुरातत्व, इलाहाबाद.
4. फर्ग्युसन एण्ड बर्गस, केव टेम्पिल्स आफ इण्डिया.
5. प्रताप, रीता 2008, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान.
6. वर्मा, अविनाष बहादुर 2010, भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रकाश बुक बरेली.
7. शर्मा, लोकेष चन्द्र 2008, भारत की संक्षिप्त चित्रकला का इतिहास, कृष्णा प्रकाशन मीडिया (प्रा0) लि0, मेरठ.

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता

सुभाष चन्द्र

राजनीति विज्ञान विभाग

वृन्दा पाल एवं उग्रसेन पाल महाविद्यालय संत कबीर नगर

E-mail id:subhashcnd.1986@gmail.com

(Received: 08.02.2023, Accepted: 21.04.2023)

भारतीय महिलाओं का भारत की राजनीतिक में योगदान एवं उनके अधिकारों के लिए उनके संघर्ष का 'प्रथम चरण' 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष से प्रारम्भ होता है। महिलाओं ने महात्मा गाँधी द्वारा प्रोत्साहित होकर सर्वप्रथम तो 'गृह शासन' (1916) के आंदोलन में भाग लिया। इसके उपरान्त नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। जो महिलाएं इन आंदोलनों में अग्रणी रहीं हैं उनमें एनी बेसेंट (जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनीं) जैसी यशस्वी महिलाएं थीं। इसके अतिरिक्त बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत ही सक्रिय रूप से कतिपय महिलाओं ने अपना योगदान दिया। जिनमें राजकुमारी अमृत कौर, लेडी फिरोज मेहता, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, दुर्गाबाई देशमुख, अरुणा आसफ अली, इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है।

द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस को विमेन्स इन्डियन एसोसियेशन, ऑल इन्डिया विमेन कान्फ्रेंस तथा नैशनल काउन्सिल ऑफ विमेन इन इन्डिया ने 1932 में एक ज्ञापन दिया। जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि नए संविधान में व्यस्क मताधिकार तथा सामान्य निर्वाचकों की व्यवस्था किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्व की कालावधि का एक उल्लेखनीय अभिलेख श्री नेहरू द्वारा वर्ष 1939 में नियुक्त उपसमिति की एक रिपोर्ट है जो 'नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका' पर है। इसका प्रमुख तार्किक तथ्य यह था कि महिलाओं को व्यक्ति के रूप में स्थान दिया जाए जाये तथा उन्हें भी पुरुषों के समान राजनीतिक, नागरिक एवं कानूनी अधिकार, सामाजिक समानता तथा आर्थिक स्वतंत्रता एवं विकास में भागीदारी मिलना चाहिए।

वर्ष 1950-60 के दशक में धर्म निरपेक्ष, बहुलवादी, बहुधार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से समन्वित राजनीतिक व्यवस्था को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश के विभाजन के साथ हुए खून खराबे तथा एक बड़ी जनसंख्या के विस्थापन के बाद बढ़ावा मिला। कुछ महिलाएं इस वातावरण तथा संवैधानिक गारंटी से लाभान्वित हुईं। मध्यम वर्ग की बहुत सी महिलाओं को विभिन्न सेवाओं एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त करने का लाभ प्राप्त हुआ। समाज कल्याण' के परिप्रेक्ष्य से सरकार ने

‘महिला मंडलों’ की व्यवस्था की तथा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए। परन्तु इस कालावधि में महिला आंदोलन उतना तीव्र नहीं रह पाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने वादों को पूर्ण नहीं कर सका। जब सामान्य नागरिक कोड (जो सभी महिलाओं को कानूनी समानता प्रदान करता) लागू नहीं किया जा सका। तब महिलाओं का मोहभंग हुआ। इसके उपरान्त हिन्दू कोड बिल भी अपने प्रारंभिक रूप में नहीं लागू किया जा सका। वर्ष 1955-56 में इसका बहुत ही कटा छटाँ रूप चार विभिन्न अधिनियमों (विवाह, उत्तराधिकार, संरक्षण, दत्तक- ग्रहण तथा भरण-भत्ते से संबंधित) के रूप में पारित हो पाया।

महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में भारतीय महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समिति ने कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गाँधी का नेतृत्व, यह दो ऐसी प्रमुख शक्तियाँ थी जिसने महिलाओं के लिए राजनीतिक समानता प्राप्त करने में उत्प्रेरक का काम किया। इन दोनों ने उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया और उन्हें घर की सुरक्षा में परदे के पीछे से स्वतंत्र करके सार्वजनिक क्षेत्र में पहुँचा दिया। 19वीं श० का सुधार आन्दोलन और महिलाओं के मध्य शिक्षा का प्रसार, परिवार में उनकी स्थिति को सुधारने से और सामाजिक संगठन के आधारभूत ढाँचे के रूप में परिवार को सुदृढ़ करने से ज्यादा संबंधित रहा। महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार, बाल-विवाह का उन्मूलन और शिक्षा का अधिकार दिया जाना ही उनकी स्थिति को ऊपर उठाने का अर्थ समझा गया। यह तथ्य एक अभिजात्य रूपरेखा पर आधारित था एवं उच्च और मध्यम वर्गों की स्त्रियों की ओर केन्द्रित था।

महिलाओं के स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारतीय महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समिति ने महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को, महिलाओं को शक्ति के निर्धारण और भागीदारी में प्राप्त समानता और स्वतंत्रता की मात्रा और उनकी इस भूमिका हेतु समाज द्वारा दिये गये महत्व के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों की प्रभावकारिता तथा उनके समानता के दर्जे की स्थिति की परीक्षण के कतिपय बिन्दु उल्लेखित किये हैं। यह बिन्दु इस प्रकार हैं -

1. महिलाओं का राजनीतिक प्रक्रिया में योगदान-महिला मतदाताओं का मतदान के लिए आना और क्रमवार चुनाव में उनकी उम्मीदवारों की संख्या।
2. राजनीतिक रुझान - जो महिलाएं राजनीति में भाग ले रही हैं। उन महिलाओं की जागरूकता, वचनबद्धता और अंतरग्रस्तता का स्तर, विशेषकर राजनीतिक कार्यवाही और व्यवहार में उनकी स्वतंत्रता एवं उनकी स्वायत्तता। महिलाओं का राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभाव - राजनीतिक प्रक्रिया में स्वयं अपनी भूमिका और प्रभावकारिता के सन्दर्भ में महिलाओं के आचार-विचार का मूल्यांकन और उनकी इन नई भूमिकाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण। इसका संकेत अनेक चुनावों में स्त्री उम्मीदवारों की सफलता, महिलाओं के दबाव समूहों की कुशलता एवं उनके नेतृत्व की प्रकृति और दलों तथा सरकार में महिलाओं

का विशेष वर्ग और विषिष्ट रूप में महिलाओं से सीधे सन्दर्भित मुद्दों पर उन्हें जुटाने हेतु चलाए गये अभियानों की प्रभावकारिता से सलंगन है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. विषय-क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन तथा विप्लेषण करते हुए सम्बन्धित सुझावों की पहचान करना।
3. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का राजनीतिक भागीदारी के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन एवं इसी परिप्रेक्ष्य में उनके पिछड़ेपन के कारणों को पहचानना।
4. महिलाओं की राजनीतिक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता के स्तर को जानना एवं चुनावों में उनके सफलता के स्तर तथा राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली प्राथमिकताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. पंचायतों में महिलाओं के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषणात्मक तथा उनकी सहभागिता में प्रकट होने वाले कारणों को जानना।

शोध प्रविधि: प्रस्तुत शोध-प्रविधि में विश्लेषणात्मक, सैद्धांतिक, तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को ग्रहण करते हुए शोध लेख को मौलिकता प्रदान करने का एक प्रयास प्रस्तुत है। इस शोध कार्य की पूर्ति हेतु विभिन्न पुस्तकालयों (केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पुस्तकालय, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय आदि) एवं इंटरनेट तथा अनेकानेक शोध संस्थानों आदि से आवश्यक सामग्री प्राप्त की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र सामग्री प्राचीन संदर्भ ग्रन्थों से भी एकत्र किया गया है। इसके साथ ही साथ विप्लेषणात्मक अध्ययन हेतु विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, आत्मलेखों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों एवं राजनेताओं के भाषण आदि से भी यथासम्भव सामग्री प्राप्त कर इस अध्ययन को सफल बनाने का एक प्रयास भी किया गया है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान: राजनीतिक प्रक्रिया में मतदाताओं के रूप में महिलाओं के योगदान का मूल्यांकन एक सकारात्मक सुझाव को दर्शाता है। वर्ष 1952 में उपलब्ध आँकड़े प्राप्त हैं। जिसको नीचे दिये गये तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

अकाड़ों का मूल्यांकन: कतिपय आम चुनावों, यथा वर्ष 1984 के 8वें आम चुनाव में कुल मतदाता भागीदारी 64 % के उच्चतम स्थान स्तर पर ज्ञात होती है। अन्य चुनावों में कुल मतदाता भागीदारी 55 से 62 % के मध्य रही। वर्ष 1984 को छोड़कर, पुरुष भागीदारी, पुरुष मतदाताओं के 60 से 66 प्रतिशत के मध्य रही है। (1984 में यह 68.4 % थी)। इसकी अपेक्षा में महिलाओं की भागीदारी समस्त

चुनावों में कम रही है। तथापि, इन समस्त वर्षों में महिला मतदाताओं का योगदान निरन्तर बढ़ते हुए 1962 में 46.6 % (वर्ष 1984 में 59.2 %) वर्ष 1998 में लगभग 57.86 % तक दृष्टिगत होता है। अकड़ों से स्पष्ट है कि महिला भागीदारी में निरन्तर वृद्ध हुई है। जिसने पुरुष एवं महिला भागीदारी के मध्य के अन्तर को कम कर दिया है। यह अन्तर केवल मात्र 15% से घटकर 4% तक ही रह गया है। इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि को देखा जा सकता है।

संसद एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति ने यह टिप्पणी की है कि उसे अनेक विधायकों और राजनीतिज्ञों ने अवगत कराया है कि हिंसा और चरित्र-हनन की धमकियां भी एक कारण है, जिनके कारण महिलाएं सक्रिय रूप राजनीति में भाग लेने के विषय में सोचने को बाध्य होती हैं। "उनमें से कुछ का राजनीति में सक्रियता का लम्बा रिकार्ड है, लेकिन फिर भी वे चुनावों में उम्मीदवारी का सामना करने से हिचकती हैं।" यह टिप्पणी अभी भी सटीक बैठती है। पूर्व के 50 वर्षों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुरुषों के अपेक्षा न के समान ज्ञात होता है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 1957 में जहाँ 2.97 था, वहीं वर्ष 2009 में यह बढ़कर मात्र 8.65 % तक ही पहुँच पाया है। वर्ष 1957 से लेकर 2009 तक हुए चुनावों में अत्यन्त कम सीटों पर चुनाव लड़ने के उपरान्त भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा प्रत्येक बार अधिक संख्या में जीत हासिल किया।

लोकसभा में पूर्व के 57 वर्षों में महिलाओं का प्रतिशत 4.4 से अधिक होकर मात्र 10.7 % तक ही ज्ञात है। 22 से 58 सदस्य, 4.4 प्रतिशत से 2009 में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। दूसरे एवं तीसरे चुनावों में महिला सदस्य संख्या अधिक होने के उपरान्त यह संख्या चौथे और पांचवें चुनावों के मध्य घटनी आरंभ हुई और वर्ष 1977 में 3.4 % के निचले स्तर को प्राप्त कर गयी। अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत, लोक सभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो में से एक सदस्य 11 वीं, 12 वीं और 13 वीं लोक सभा में महिला रही हैं। निरन्तर वृद्धि के उपरान्त भी लोक सभा में महिलाओं का प्रतिशत 18.4 के विश्व औसत तक नहीं ज्ञात होता है।

वर्ष 1960 में राज्य सभा में महिला प्रतिनिधित्व 10% से कुछ ऊपर से प्रारम्भ हुआ। परन्तु वर्ष 1980 को यदि छोड़ दिया जाय (11.89 %) तो इसके बाद के वर्ष के मध्य यह प्रतिशत निरन्तर घटता रहा है। और वर्ष 1996 में यह घटकर 7.76 तक पहुँच गया। हालांकि वर्ष 1999 में इसमें थोड़ी वृद्धि 8.5% तथा 2009 तक 9.5% ही दिखाई देता है। नब्बे के दशक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अन्य बातों के साथ-साथ, राजनीतिक दलों में लोकप्रिय चुनावी प्रतिस्पर्धाओं में सफल न रहने वाले लोगों को जो प्रायः पुरुष होते हैं, समयोपयोजन की संरक्षणवादी प्रथाओं के कारण घटता गया है। पूर्व के वर्षों में महिलाओं को दी गई अधिक सुविधा अब पुरुषों को हस्तान्तरित कर दी गई। जिसके कारण राज्य सभा में

महिला सदस्यों की संख्या में कमी आयी। विप्लेषणात्मक अध्ययन में यह दृष्टिगत होता है कि राजनीतिक दलों में एक विशेष सुरक्षित स्थान के रूप राज्य सभा की सदस्यता को स्थान दिया जाता है जिससे वे अपनी इच्छानुसार अच्छे ऐसे उम्मीदवारों को इस चुनावी अखाड़े में स्थान दिला सके जो प्रचलित लोकसभा के चुनाव को जीतकर संसद तक न पहुँच सके।

संसद में लोक सभा में महिलाओं की संख्या में कमी तथा सभा में वित्तीय, विधायी और अन्य मामलों से संबंधित उल्लेखनीय कामकाज में उनकी भागीदारी के स्तर से प्रकट हो जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की चर्चाएं, आम बजट और रेलवे बजट, कम अवधि की चर्चाएं, विश्वास प्रस्ताव इत्यादि सामान्यतः कामकाज के उल्लेखनीय मद हैं। ग्यारहवीं लोकसभा में उदाहरणार्थ, अनुदानों संबंधी सामान्य मांगों और रेलवे के लिए अनुदानों संबंधी मांगों पर चर्चाओं में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या में महिलाओं का भाग केवल 6.23 प्रतिशत था। उसी सभा में, दो विश्वास प्रस्तावों पर महिलाओं की भागीदारी से संबंधित आंकड़े क्रमशः 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत थे। महिलाएं सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 193 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व के अति महत्वपूर्ण मामलों, जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निष्पादन, प्राकृतिक आपदाओं, महिलाओं पर अत्याचार इत्यादि पर कम अवधि की चर्चाओं में कुछ ज्यादा गहनता से भाग लेती हैं। स्पष्टतः ये वे मुद्दे हैं जो सामान्यतः महिलाओं से सरोकार रखते हैं। यह भी स्पष्ट है कि राजनीतिक दल अधिक गम्भीर मुद्दों पर महिलाओं के लिए समय के आवंटन हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं देते। बारहवीं लोक सभा में भी सभा के महत्वपूर्ण कामकाज में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिरूप काफी भिन्न नहीं था। संसद सदस्य विशिष्ट मुद्दों पर बोलने हेतु अपने दलों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। उनके भाषणों के लिए उन्हें आवंटित किया गया समय प्रायः दल हेतु आवंटित समय का एक भाग होता है। राजनीतिक दल वाद-विवाद में भागीदारी हेतु अपने सदस्यों में से अपेक्षाकृत वरिष्ठ, मुखर और अनुभवी सदस्य को प्राथमिकता देते हैं। प्रायः अधिक प्रसिद्ध और सुपरिचित चेहरे विपक्ष को प्रभावी रूप से दबाने के अतिरिक्त दल को अपनी पहचान देते हैं। नवीन प्रवेश पाने वाले एंव दल के निचले क्रम के सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला दोनों को ही भाषण देने के अवसर प्राप्त होने में अत्यन्त कठिनाई प्राप्त होती है। इस प्रकार की स्थिति में दोनों ही प्रकार के लोग अवसर विहीन रह जाते हैं। विशिष्ट रूप में संसद के वाद-विवादों में अपने स्वतंत्र विचारों को रखने का अवसर पाने को महिला सदस्य एक बड़ी प्रतिद्वन्द्विता के रूप में देखती हैं।

संसद/राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण : महिला सांसदों की लगभग संख्या सम्पूर्ण विश्व में 18.4 % है। जबकी भारतीय संसद में महिला सदस्यों की संख्या 10.7 % है, जो 33 प्रतिशत महिलाओं के उस 33 प्रतिशत संख्या से कहीं दूर प्रतीत होती है। जिसे कोई भी सार्थक निर्णय लेने के लिए जरूरी माना गया है। '81 वां संविधान संशोधन विधेयक' 12 सितम्बर 1996 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह संसोधन महिलाओं को लोक सभा

तथा राज्य विधान सभाओं में सदनों की सदस्य संख्या का एक-तिहाई आरक्षण देने देने के परिप्रेक्ष्य में था। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में जो आम आरक्षण पहले ही दिया हुआ है, उसमें भी इन समुदायों की महिलाओं के लिए उसी प्रकार स्थान आरक्षित किये जाए। एक संयुक्त संसदीय समिति को यह विधेयक को सौंपा गया। इस समिति ने गहन विचार-विमर्ष के उपरान्त 9 दिसम्बर 1996 को अपनी आख्या सौंप दी। परन्तु ग्यारहवीं लोक सभा के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः यह विधेयक कागजों में ही पड़ा रह गया। 14 दिसम्बर, 1998 को पुनः '84 वें संविधान संशोधन विधेयक' के रूप में पूर्व के विधेयक को 12 वीं लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। परन्तु कतिपय शंकाओं को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया। अतः इस विधेयक का हस्त भी पूर्व के समान ही हुआ। जिसका कारण 12 वीं लोक सभा के भंग होने में दृष्टिगत होता है। यद्यपि तेरहवीं एवं चौदहवीं लोक सभा में यह विधेयक पुनः लाया गया। लेकिन आज तक यह विधेयक किसी न किसी कारण से संसद में सर्वसम्मति को नहीं प्राप्त हो पाया है।

महिला आरक्षण में बाधाएँ : कतिपय दलों का यह कहना है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण (पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए) मांगने की बात तर्कसंगत नहीं है। संसद की संरचना पर यदि दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जायेगा कि वर्तमान कालावधि में संसद में सर्वाधिक संख्या पिछड़ी जातियों के सांसदों की है। यदि महिला आरक्षण विधेयक के वर्तमान प्रारूप को स्वीकार कर लिया जाय तो सहज ही 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो जायेगा और ऐसे में संसद में बहुसंख्यक पिछड़े समुदाय की भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व दर में अपने-आप वृद्धि दिखने लगेगी। जहाँ तक 20 फीसदी सीटों की दोहरी सदस्यता वाली सीट बढ़ाने का प्रस्ताव लागू करने की बात है तो इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद भी महिलाओं के साथ भेदभाव बना रहेगा क्योंकि इसमें सभी सीटों को नहीं, सिर्फ 20 फीसदी सीटों पर दोहरी सदस्यता करने का प्रस्ताव है। इससे सांसदों के बीच भी गैरबराबरी बढ़ेगी और एक तरह के वर्ग भेद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। आरक्षित सीट पर दो-दो सांसद होंगे। मतदाता भी दो-खेमों में विभाजित होंगे। फंड के बंटवारे से लेकर विभिन्न कमेटियों की सदस्यता तक दोनों में हमेशा विरोधीभाष बना रहेगा। स्पष्ट है कि जब इस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था होगी तो अधिकतर महिलाएँ इसी प्रकार की सीटों से चुनकर आयेंगी, जिससे उनके प्रति भेदभाव बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर महिला सांसदों की स्थिति सिर्फ संख्या में वृद्धि करने वाली होगी। इससे इस बात की सम्भावना अधिक है कि महिला सांसदों पर कार्य का दबाव भी अधिक होगा जिस कारण उन्हें किसी पुरुष सांसद के साथ संलग्न कर दिया जायेगा। यद्यपि आर.जे.डी., जद-यू एवं सपा के सदन से वाल्क-आउट करने के उपरान्त भी अब 14 वर्षों के इन्तजार के बाद 9 मार्च 2010 को राज्य सभा 1 के विरुद्ध 186 मतों से सदन में पारित महिला विधेयक पारित हो गया है। परन्तु अब भी यह लोकसभा में नहीं पास हो सका है।

पंचायती राज एवं महिलाएँ: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की विषिष्टतम् जानकारी पंचायतों में महिलाओं की भूमिका के सन्दर्भ में नहीं ज्ञात होती है। क्योंकि इनमें पुरुषों की प्रधानता थी। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाली, बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में प्रथम बार दो महिला सदस्यों के चयन की अनुशंसा की। जिससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व वृद्धि हो सके।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए महिलाओं की स्थिति पर गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में (सी.एस.डब्ल्यू.आई. 1974) स्थानीय स्तर पर महिला पंचायतों की अनुशंसा की जो ग्राम पंचायतों के अभिन्न अंग होते। इस समिति ने यह भी उल्लेखित किया कि विकास से सन्दर्भित योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं के जीवन, योगदान तथा परिप्रेक्ष्य को कभी भी विषिष्टता प्रदान नहीं किया गया। यह उम्मीद की गई कि इससे स्थानीय स्तर का नेतृत्व उभरेगा तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन्हें सुअवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण महिलाओं की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस समिति ने अपनी अनुशंसाएं भी दी। जिसका सम्बन्ध उनकी साक्षरता, शिक्षा, कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएँ, आय के नये अवसर तथा वेतन में पक्षपात इत्यादि से था। समिति ने यह महसूस किया कि ऐसा कदम महिलाओं के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक बाधाओं को कम करेगा तथा स्थानीय स्तर पर सशक्त महिला नेतृत्व को पनपने का अवसर प्रदान करेगा (मजुमदार, वी: 1974)। इन अनुशंसाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया तथा अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्टों ने न तो इन पर विचार विमर्श किया और न इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी ली (भारत सरकार: 1978)। ये तो महिला आन्दोलन की एजेंसी तथा इन विषयों पर चल रहे वाद-विवाद के सम्मिलित परिणाम हैं कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया। जिसको हम संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के अर्न्तगत उल्लेखित कर सकते हैं।

73 वां एवं 74 वां संशोधन तथा राज्य अधिनियम : भारतीय संविधान में 73 वां संशोधन वर्ष 1993 के अप्रैल माह में लागू हुआ, इस हेतु अध्याय 9 संविधान में संलग्न किया गया एवं वर्ष 1992 के 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अर्न्तगत संविधान में भाग 9-क संलग्न किया गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन, उसकी शक्तियां तथा उसका ढाँचा, एवं उसके कार्यों को सुदृढ़ता प्रदान किया गया और उन्हें संवैधानिक बताया गया, तथा 1/3 स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित कर दिया गया। लोकतंत्र के त्रिस्तरीय सशक्तिकरण से भारत में प्रजातान्त्रिक पद्धति को बल मिला और विश्व भारतीय लोकतंत्र की ओर उन्मुख हुआ। संशोधनों द्वारा पंचायतों की कार्य विधियों को भी कारगर बनाया गया। इस सन्दर्भ में इसमें एक राज्य चुनाव आयोग, एक वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और पंचायतों की अवधि उनके यथा समय चुनाव और उनके निलम्बन की शर्तें निर्धारित की गईं। शक्तियों तथा कार्यों के स्थानांतरण की बात भी कही गयी। और राज्यों से धीरे-धीरे विकेन्द्रियकरण की ओर ध्यान देने को कहा गया। जिसमें 29 क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का तथ्य उल्लेखनीय रूप में दिखाई देता

है। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय शासन अधिनियम, (74 वें संशोधन के अर्न्तगत) जिसे नगर पालिका अधिनियम कहा जाता है, के तहत एक जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया। यह समिति पंचायत तथा म्युनिसिपल क्षेत्र हेतु एक सम्मिलित योजना समिति है, जो जिले के विकास हेतु प्रत्येक योजना समिति हेतु एक मसौदा तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार तक पहुँचायगी। इन समितियों के गठन की विधि और इनके पदों को भरने, अध्यक्षों के कार्यों और उनके निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमण्डल को होगा।

महिलाओं की भागीदारी 73 वें एवं 74 वें संशोधन के उपरान्त स्थानीय निकायों में निश्चित रूप से बढ़ी है, परन्तु सक्रिय व स्वतंत्र रूप से बहुत कम महिलाएँ ही कार्य करती हैं। कतिपय राज्यों में निर्वाचित महिलाओं के पति ही उनके कार्यों का संचालन करते हैं। इस प्रकार के राज्यों में बिहार व उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के नमोल्लेख किये जा सकते हैं। अन्य राज्यों में भी महिला पंचायती सदस्यों का उनके परिवार के पुरुषों द्वारा भी उसी प्रकार से अपनी इच्छानुसार उनका इस्तेमाल किया जाना ही बना हुआ है। महिलाएँ पुरुषों के लिए परोक्ष रूप से राजनीति में प्रवेश करने का एक माध्यम बनी हुई हैं। अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य में भी ज्यादातर महिलाओं ने वर्तमान राजनीति के विषय में अपनी चिन्ता प्रकट की है, इसके साथ ही उन्होंने अपना आक्रोश अधिकारी तंत्र के विरुद्ध भी प्रदर्शित किया है। और पुरुषों के भ्रष्टाचार एवं अन्य तौर-तरीकों (शराब और डिनर) को मानने की अनिच्छा से पता चलता है कि राजनीति में आने वाली महिलाएँ अपने ही सिद्धान्तों को उचित एवं अनुमान्य स्वीकार करती हैं।

आलोचनात्मक विवरण : महिलाओं की भूमिका के सन्दर्भ में यदि नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाय तो महिलाओं की स्थान इस सम्बन्ध में नगण्य है, विभिन्न राजनीतिक दबावों का प्रतिकार करने का परिणाम चरित्र हनन होता है। महिलाओं को यह समझने हेतु विवक्ष होना पड़ता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों ही ऐसी हैं कि उनके लिए समझौता ही एक मात्र रास्ता रह जाता है। उदाहरण के लिए यदि मेरठ की एक महिला की आप बीती सुने तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। उसे राजनीतिज्ञों का विरोध करने के प्रयास के बदले में उसे और उसके परिवार के सदस्यों को बलात्कार, हत्या तथा अन्य धमकियों को सहन करना पड़ा। आज राजनीतिक दल वोट कोष के रूप में महिलाओं की आवश्यकता को देखते हैं। इस प्रकार महिलाओं का वोट प्राप्त करने के लिए वो महिला सदस्यों का उपयोग करते हैं। यद्यपि यह सच है कि वर्तमान नजरिया पूर्व के नजरिये से कुछ भिन्न है जो महिला मतदाताओं की अवहेलना इस आधार पर करता था कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। परन्तु वर्तमान में भी राजनीतिक दलों का उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु उपयोग में लाना ही बना हुआ है।

महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति ने उल्लेखित किया है कि " समृद्ध परिवारों से ही ज्यादातर महिला उम्मीदवार आती हैं जिनमें पुराने राजघरानों के सदस्यों को भी उल्लेखित किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और मुसलमानों के महिला उम्मीदवारों को समर्थन मात्र एक ही दल ने कभी-कभी

दिया है। अधिकांश महिला उम्मीदवार शिक्षित हैं, यद्यपि उनके स्तरों में समानता नहीं है। तब भी लगभग 70-80% महिला संसद सदस्य अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षित हैं। इसके साथ ही चुनावों में बढ़ता खर्च भी महिला उम्मीदवारों के सक्रिय राजनीति में भागीदारी में सबसे बड़ा अवरोध दिखाई देता है। महिलाओं का यह भी कहना है कि उनके परिवार अभी भी पारिवारिक धन का प्रयोग उनके राजनीतिक भागीदारी अथवा चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं करना चाहते हैं परन्तु पुरुषों के सन्दर्भ में वह इस प्रक्रिया को अनुमान्य मानते हैं। इस प्रकार उनके मत में असमानता है चूंकि अधिकतर महिलाएं आर्थिक संसाधन से परिपूर्ण नहीं हैं, अतः उनकी आकांक्षाएं पूरी होने में किसी राजनीतिक दल का सहारा एक मात्र साधन रह जाता है। इसलिए जिन महिलाओं के पास कतिपय स्वतंत्र संसाधन हैं वही महिला उम्मीदवार के रूप में मात्र दृष्टिगत होती हैं।

महिलाओं की एक बड़ी संख्या के अर्न्तगत शिक्षकों, वकीलों एवं अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं को वर्णित किया जा सकता है। इनमें से वृहद महिलाओं ने स्थानीय निकायों के चुनाव में विजय भी प्राप्त की है। निर्वाचित महिला सदस्य चाहे उतना साक्षर हो अथवा न हो परन्तु उन्हें अपने समकक्षों तथा नौकरशाहों से पहचान की समस्या भी बनी रहती है स्थानीय स्तर पर अधिकारी तंत्र विषिष्टतम् रूप में एक समस्या बन सामने आता है।

निष्कर्ष : भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 'महिलाओं की वर्तमान शक्ति एवं स्थिति की सूचक ही नहीं आपितु उनके अधिकारों एवं विकास को अग्रेसित करने के लिए आवश्यक भी है।' महिलाओं के लिए निर्वाचन या राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों या प्रदर्शनों जैसे औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रमों में सिर्फ भाग लेना पर्याप्त नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका या स्थानीय सरकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह सत्य नहीं है कि महिलाएँ हमेशा अन्य महिलाओं की समस्या के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगी। सिर्फ महिलाओं की संख्या का अधिक होना ही पर्याप्त नहीं है और न ही वृहद संख्या में राजनीति में भागीदारी ही उनका लक्ष्य है। अपितु यह भी जानना आवश्यक है कि महिलाएँ यदि राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती हैं तो उसका उद्देश्य क्या है क्या यह महिलाओं को मात्र प्रारंभिक स्थान मानकर चलना है या शक्ति की विद्यमान श्रंखला में व्यवस्थित रूप से प्रवेश पाना है राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी के सही अध्ययन के लिए जिन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनमें से कतिपय हैं महिलाओं की हिस्सेदारी की सीमा, स्तर तथा स्वरूप, महिलाओं के अधिकारों पर उनका प्रभाव एवं महत्व और उनके द्वारा समय-समय पर उठाई जानी वाली स्त्रीगत समस्याएँ इत्यादि अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य है।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. महिलाएं तथा शासन राज्य की पुनर्कल्पना एक रिपोर्ट (एकत्र) सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 9.2. वही, पृ. 10.
2. गोपालन, सरला. समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति - 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 281.

3. गोपालन सरला. समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति – 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 283.
4. गोपालन सरला, पूर्वांक, पृ. 283.
5. अलका, आर्य. जनसत्ता, 18 अक्टूबर, 2008, प्रकाशित दिल्ली, पृ. 6.
6. राज्य सभा में 1960-99 में सदस्यों का परिचय लार्डिस, सचिवालय के संदर्भ विभाग द्वारा संकलित.
7. गोपालन, सरला . जेन्डर एंड गवर्नेंस, महबूब उल हक मानव विकास केन्द्र, दक्षिण एशिया में मानव विकास, 2000 के लिए तैयार पत्रक.
8. गोपालन, सरला. समानता की ओर, पूर्वांक, पृ. 294.
9. करात, वृंदा. हिन्दुस्तान, 20 जुलाई, 2002, प्रकाशित दिल्ली.
10. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 10 अक्टूबर, 2010, पृ. 1.
11. महिलाएँ तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, एक रपट, एकत्र, सोसायटी फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स फॉर विमेन, नई दिल्ली, पृ. 32-33.
12. भारत में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2001, पृ. 101.
13. महिलाएँ तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, पूर्वांक, पृ. 55.
14. गोपालन, सरला . समानता की ओर अपूर्ण कार्य, पूर्वांक, पृ. 289.
15. वही, पृ. 292.
16. महिलाओं तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, पूर्वांक, पृ. 24
17. वही।

सामाजिक—आध्यात्मिक मूल्यों के उजाले में संत कवि गुरुनानक देव की कविताओं का अवलोकन

पवन कुमार रावत

हिन्दी विभाग

कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुलतानपुर, उ०प्र०

E-mail id: Email-jrfpawan2012@gmail.com

(Received: 23.12.2022, Accepted: 22.02.2023)

सारांश: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इस लोकतांत्रिक राष्ट्र की खूबसूरती यहाँ की मिट्टी में मौजूद विविधता में एकता है। विविध धर्म संस्कृति, आचार-विचार व्यवहार, रंगरूप होने के बावजूद इसमें मिठास, सौहार्द, अपनापन और स्नेह का रंग घुला मिला है। इन सब के पीछे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, संतों, ऋषि-मुनियों और गुरुओं का ज्ञान, संस्कृति, संस्कार उनके उपदेश एवं सीख सिखौवलों का प्रमुख हाथ रहा है।

इन संतों की वाणी में लोकचिन्ता एवं लोक कल्याण का भाव निहित है। मानवीय संवेदना और सामाजिक सरोकार के लिए प्रतिबद्ध इन संतों ने जीवन पर्यंत मानवता के उत्कर्ष के लिए संघर्ष किया है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ण ऊँच-नीच की दीवारों को ध्वस्त कर एक समतल व समरस समाज की जमीन तैयार करने का संकल्प इन संतों की शिक्षाओं का मूल प्रयोजन है।

हिन्दी साहित्य में संतकाव्य परम्परा भक्तिकाल के एक गौरवपूर्ण कालखण्ड का एक मानवीय अध्याय है। गुरुनानक देव संत काव्यधारा के एक प्रमुख संत कवि है। संवत् 1526 में बैषाख शुक्ल तृतीया को लाहौर के तलवंडी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानकदेव ने निर्गुण, निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। जाति-पाँति, छुआछूत, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, मूर्तिपूजा, अवतारवाद, वर्णभेद, मानसिक पिछड़ापन का विरोध कर सद्भाव, प्रेम, विनम्रता, समन्वय, शांति जैसे सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। नानकदेव बचपन से ही जिज्ञासु, सहिष्णु व उदार स्वभाव के थे। इसलिए इनका ध्यान शुरू से ही ईश्वर-भक्ति, सत्संग, कीर्तन, धर्म व दर्शन की तरफ रहा है। नानकदेव ने धर्म ज्ञान व तात्विक चिंतन के माध्यम से व्यक्ति के भीतर कर्म, सद्प्रयास, विश्वास, समर्पण, विनय तथा सत्य जैसे आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा अपनी कविताओं और शिक्षाओं के माध्यम से करने का स्तुत्य प्रयास किया है। अतएव गुरुनानक देव की कविताएँ सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों का अक्षय कोष है। यह हमारी सांस्कृतिक थाती है जिसमें मनुष्यता की स्थापनाएँ निहित है।

सामाजिक-आध्यात्मिक मूल्यों के उजाले में संत कवि गुरुनानक देव की कविताओं का अवलोकन: भारत दुनिया का एक ऐसा अनोखा व अद्वितीय राष्ट्र रहा है जो संतों की दिव्य वाणी, अमूल्य विचार और उनके बताये हुए रास्ते पर हमेशा से चलता रहा है। उनकी सीख सिखौवलों से हमेशा प्रेरणा ग्रहण करता रहा है। यह भारत की उर्वर धरा की खूबसूरती है, कि वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात् सम्पूर्ण विष्व को परिवार मानने की अद्भुत परम्परा हमें अपने संतों, ऋषि, मुनियों और आध्यात्मिक गुरुओं से विरासत के रूप में मिली है। इतिहास के पृष्ठों को उलट कर देखें तो हमने समय-समय पर दुनिया के सामने बेमिसाल नजीरें भी पेश की हैं। यह हमारी सांस्कृतिक परम्परा नजरिया, ऋषि मुनियों और गुरुओं के उपदेशों और शिक्षाओं के कारण ही सम्भव हो सका है।

हमें संत परम्परा से केवल आध्यात्मिक ज्ञान अलौकिक संदेश ही नहीं प्राप्त हुए वरन् हमें मनुष्य को मनुष्य बनाने के बीच, बीज मंत्र भी प्राप्त होते हैं। सामाजिक व नैतिक मूल्य हमें कीमती धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं। सांसारिक विषय वासनाओं से कौसों दूर समाज व राष्ट्र तथा विष्व को खूबसूरत बनाने की मुहिम में जुटे हुए इन संतों ने पहले पहल अपने ज्ञान, कार्य, संस्कृति, व्यवहार व आचरण के द्वारा समाज के समक्ष एक प्रतिमान स्थापित किया। इन संतों की जीवन दृष्टि हम सब के लिए मिसाल भी है और मषाल भी है। इन संतों की वाणी समाज के भीतर से अंधेरा छाँटती है और मानवता के अंतस में एक उजास पैदा करती है। इन संतों की शिक्षाओं में शांति, सद्भाव, स्नेह, सहिष्णुता, सांझी सांस्कृतिक विरासत, समृद्धि तथा मानवीय राग की अनुगूँज निहित हैं।

हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण जिसे भक्तिकाल की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसी भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि और उनके द्वारा रचित काव्य को संतकाव्य कहा गया। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक डॉ रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्येतिहास ग्रंथ 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य परंपरा नाम दिया है जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। पीतांबर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति 'संत' शब्द से मानी है। 'संत' का शाब्दिक अर्थ है—निर्लिप्त एवं वीतरागी। संत जो मोह माया के बंधन से मुक्त हों, लोक कल्याण जिनके जीवन का मूल्य प्रयोजन हो, जिनका अनुराग ईश्वर केंद्रित चिंतन की तरफ हो वही संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से करते हुए बताया है कि जिस प्रकार पत्थर के मारने पर भी वृक्ष हमें फल देते हैं ठीक उसी प्रकार संतों में भी इसी प्रकार की परोपकार की भावना होती है। वे कहते हैं—

“तुलसी संत सु अंक तरू”
 फूल फलहिं पर हेत।
 इत ते ये पाहन हनै
 उत ते वे फल देत।।”¹

कबीर ने भी संतों के लक्षण बताते हुए कहा है—

संत न छाड़ै संतई

कोटिक मिलै असंत ।

चंदन भुवंगा बैठिया

तउ शीतलता न तजंत ।।²

अर्थात् संत अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते चाहे कितने ही असंतों से उसकी भेंट हो। सज्जनता संतों का सबसे बड़ा गुण है। इस संदर्भ में डॉ परशुराम चतुर्वेदी का विचार है—“जिसने सत् रूपी परमतत्त्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो सत्स्वरूप नित्य सिद्धवस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है ।।³

संत काव्य धारा के कवियों में गुरु नानकदेव ने अपनी वाणी उपदेश व शिक्षाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस व जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। नानकदेव सिक्ख धर्म के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म संवत् 1526 में वैशाख शुक्ल तृतीया को लाहौर के दक्षिण-पश्चिम रायभोई की तलवाड़ी नामक एक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद और माँ का नाम तृप्ता था। इनका विवाह सुलखनी देवी के साथ हुआ था। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद इनके दो पुत्र थे। आगे चलकर श्रीचन्द ने संन्यास ग्रहण करके ‘उदासी संप्रदाय’ की स्थापना की थी। गुरुनानक देव ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर भक्ति, समाज चिंतन व लोक कल्याण को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य बनाया। ये पर्यटनशील थे। भारत के सुदूर क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएँ कीं। दीन-दरिद्र दुःखी लोगों के जीवन में व्याप्त कष्टों व असमानता से पीड़ित लोगों की व्यथा-कथा को दूर करने का उन्होंने दृढ संकट लिया। उन्होंने जीवन पर्यंत जातिवाद, छुआछूत, सांप्रदायिकता, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, वर्णभेद, ऊँच-नीच, पाखंडवाद व शोषण का विरोध किया। गुरु नानकदेव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पिता की खेती बाड़ी में इनका मन नहीं लगा। इनका झुकाव धर्म-दर्शन, सत्संग, समाज कीर्तन व ईश्वर भक्ति की तरफ ही रहा है। उन्होंने हिंदी, फारसी पंजाबी व संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में ‘जपुजी’, ‘असादीवार’, ‘रहिरास’ और ‘सोहिला’ हैं। नानकदेव का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है किंतु उन्होंने ब्रजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया है। इनकी वाणिओं का संकलन ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ में है जिसका संकलन सिक्ख धर्म के छठवें गुरु अर्जुनदेव ने 1604 ई0 में किया था। यह सिक्ख धर्म का अनुपम व पवित्र धर्म ग्रंथ है। गुरु नानकदेव ने पूरे देश का भ्रमण करके समाज को नजदीक से देखा। एक बार नानक देव अपने शिष्य मर्दाना के साथ कुरुक्षेत्र से चलकर हरिद्वार पहुंचते हैं जहाँ उन्होंने देखा कि लोग अपने पितरों का तर्पण गंगा घाट पर कर रहे थे। तब वह पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जल उलचने लगे। उन्हें ऐसा करते देख कर वहाँ के ब्राह्मणों ने इस कार्य का विरोध किया और कहा कि पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। तब नानकदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा—“मैं पछाह का रहने वाला हूँ। घर पर एक लहलहाता खेत छोड़ कर आया हूँ। उसे सीचने वाला वहाँ कोई आदमी नहीं है। सो मैं यहीं से खेत को सींच रहा हूँ। जिससे वह खेत सूख ना जाये। जब तुम लोग लाखों कोस पर रहने वाले अपने प्यासे पितरों को यहाँ से पानी पहुँचा सकती हो तो मेरा खेत तो यहाँ से बहुत ही पास है।”⁴ इस प्रकार

नानकदेव ने रूढ़िवादी परम्परा तथा अंधविश्वास का खंडन तार्किकता से करके समाज को इन पूर्वाग्रहों से मुक्त कराने का प्रयास किया। नानकदेव पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रान्ताओं के अन्याय अनाचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठायी। मुगलों के अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था व दमनात्मक शक्तियों का विरोध किया—

“खुरसान खमसान कीआ हिन्दुस्तान उराइया
आपै दोस न देई करता जपु करि मुगल चढ़ाइया।
एती मार पई कुर लाणै तै की दरदु न आइया”।⁵

नानकदेव की वाणी में अपने समय व समाज का सुना-अनसुना सच निहित है जो ना केवल मनुष्य को समय के प्रति सजग बनाता है बल्कि जीवन के वास्तविकता व उनकी मूल प्रयोजन को लेकर चिंतन करने के लिए अभिप्रेरित करता है। नानकदेव लोगों को उपदेशित करते हुए कहते हैं—

“रैन गँवाई सोई के, दिवसु गँवाइयाखाय।
हीरे जैसे जन्मु है, कउड़ी बदले जाय”।⁶

अर्थात् ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया है जिसका हमें सामाजिक सदुपयोग करना चाहिए न कि सो कर और खाकर जीवन को बर्बाद कर देना चाहिए। जीवन की सार्थकता भी लोक कल्याण में ही निहित है।

नानकदेव ने जीवन में गुरु की श्रेष्ठता बताई है। गुरु ही वह पथ प्रदर्शक है जो हमारे भीतर से अज्ञानता को छोटता है और हमारे भीतर विवेक जागृत करता है। नानकदेव कहते हैं कि गुरु का उपदेश सुनने से हमें संतोष, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु का उपदेश सुनना अड़सठ तीर्थों के समान फलदायी है—

“सुणिए सतु संतोखु गिआनु।

सुणिए अठिसठि का इसनानु”।⁷

नानकदेव सामाजिक समस्याओं को देखकर आहत हो जाते हैं। वह व्यक्ति के आचरण की पवित्रता पर बल देते हैं। मनुष्य को सद्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति जीवन में जैसा बोता है, काटता भी वैसा ही है। मनुष्य का आवागमन भी ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है—

“आपै बीजि आपैही खाहु।

नानक हुकमी आवहु जौहु”।⁸

नानकदेव कहते हैं व्यक्ति शरीर पर लगी मैल को साफ करने के लिए अनेक यत्न करता है। हाथ, पैर और शरीर के दूसरे अंग धूल से सन जायें तो वह पानी से साफ हो जाते हैं। मूत्र से जब कपड़े गंदे हो जाए तो उन्हें साबुन से साफ कर लेते हैं पर यदि मनुष्य अस्वच्छ तथा पापयुक्त हो जाये तो ऐसी स्थिति में न पानी की आवश्यकता है और न ही साबुन की बल्कि प्रेम जैसे सहज व उदात्त भाव की जो कि ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है—

“भरीऐ हथ पैरु तनु देह। पाणी धोतै उतरसु खेह ॥

पूत पलीती कपहु होइ। दे साबुणु लईऐ ओहु ॥

भरीऐ मति पापा कै संगि। ओहु धोपै नावै के रंगि”।⁹

इस प्रकार आज संसार की सबसे बड़ी समस्या मन का बँटना व दूषित होना ही है।

नानकदेव ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। वह ईश्वर को इस संसार का कर्ताधर्ता मानते हैं। इस सांसारिक मोह-माया के बंधनों से छुटकारा ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं है। उसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता है—

“बंदिखलासी भाणै होई।
होरु आखि न सकै कोई”।¹⁰

नानकदेव ईश्वर की अदालत के बारे में कहते हैं कि वहाँ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। सबके साथ समानता का न्याय होता है—

“अमुलु धरमुं अमुलु दीवाणु।
अमुलु तलु अमुलु परवाणु”।¹¹

अर्थात् अनमोल है तेरा न्याय। अनमोल है तेरा न्यायालय और अनमोल है तेरी तौल। अनमोल है तेरा पैमाना। इस प्रकार गुरुनानक देव ने ईश्वरीय चेतना की सत्ता पर बल दिया साथ ही मनुष्य को भी ऐसी ही न्यायिक व्यवस्था की जरूरतों को आत्मसात करने का सुझाव भी कहीं न कहीं दिया है।

गुरु नानकदेव छल, छद्म, का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि जो स्वयं को पीर या गुरु कहता है और उसके बाद भी दर-दर की भीख मोंगें वह सच्चा पीर या गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वह है जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं और दूसरों को कुछ देते भी हैं—

“गुरु पीर सदाए मंगठा जाइ।
ताकै भूलि न लगीऐ पाई॥
घालि खाइ किछु हथहु देइ।
नानक राहु पछाणहि सेइ”।¹²

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संत कवि गुरुनानक देव ने जीवन पर्यंत मानवता के हितों के लिए एक ऐसी जमीन तैयार करने का संघर्ष किया जिस पर चलकर न केवल हम अपनी संस्कृति व मूल्यों को बचा सकते हैं बल्कि मानवीय एवं सामाजिक राग की अनुगूँज को विखण्डित होने से भी बचा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थः

1. राय, कुसुम; हिन्दी साहित्य का वस्तुदिष्ट इतिहास, प्रथम खण्ड, विष्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 2008, पृ. सं. 100
2. वही, पृ. सं. 101
3. वही, पृ. सं. 100
4. वियोगी, हरि; संत सुधासार, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, 2013, पृ. सं. 174
5. राय, कुसुम; हिन्दी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, विष्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, पृ. सं. 125
6. वही, पृष्ठ सं. 126
7. वियोगी हरि; संपादन संत सुधासार, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, पृ. सं. 184
8. वही, पृ. सं. 189

9. वही, पृ. सं. 189
10. वही, पृ. सं. 193
11. वही, पृ. सं. 193
12. वही, पृ. सं. 211

कबीर काव्य मीमांसा और प्रो० वासुदेव सिंह की दृष्टि

¹भूप नारायण, ²डॉ० हिमांशु शेखर सिंह

¹शोध-छात्र, हिन्दी विभाग, ²सह-आचार्य हिन्दी विभाग
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज
(Received: 21.11.2022, Accepted: 05.04.2023)

सारांश

हिन्दी संत काव्य धारा में कबीरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी साधना तथा अनुभव के द्वारा जो कुछ भी जाना था, उसका उपदेश अपने भक्तों एवं शिष्यों के बीच सत्संग के माध्यम से किया करते थे। उनकी यह वचनावली प्रमुख रूप से साखी, सबद और रमैनी के रूप में संग्रहीत है।

कबीर वाणी को विभिन्न आचार्यों द्वारा अपने-अपने तरीके से सम्पादित किया गया है और कबीर के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण में भी पर्याप्त अन्तर है। प्रस्तुत शोध पत्र में कबीर पर विचार व्यक्त करने वाले तीन प्रमुख आचार्यों— आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉ० नामवर सिंह की कबीर सम्बन्धी मान्यताओं की समीक्षा के करने के साथ ही विवेच्य आलोचक प्रो० वासुदेव सिंह की कबीर सम्बन्धी मान्यताओं पर दृष्टिपात किया गया है।

विशिष्ट शब्द : अन्यतम्, अर्थयोजना, अन्तर्कथा, पर्यवेक्षण, सत्संग, यौगिक क्रिया, उक्ति-वैचित्र्य, उपासना।

हिन्दी साहित्य में सन्त कबीर का स्थान अन्यतम है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ कहा वह साखी, सबद तथा रमैनी के नाम से प्रमुख रूप से उपलब्ध है। कबीर की इन रचनाओं को लेकर कालान्तर में विभिन्न आचार्यों एवं समीक्षकों के द्वारा अपनी-अपनी दृष्टि से सम्पादन और मूल्यांकन किया गया, जिनमें बाबू श्यामसुन्दर दास, डॉ० राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० नामवर सिंह, डॉ० पारस नाथ तिवारी, डॉ० शुकदेव सिंह आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में प्रो० वासुदेव सिंह का नाम भी परिगणित किया जाता है, जिन्होंने डॉ० जयदेव सिंह के साथ कबीर-काव्य को प्रमुख रूप से साखी, सबद और रमैनी—तीन खण्डों में सम्पादित किया। साथ ही, न केवल 'कबीर काव्य कोश' नाम से कबीर के साहित्य में प्रयुक्त क्लिमत शब्दों की तथ्यात्मक अर्थयोजना की, बल्कि साथ ही अन्तर्कथाओं के साथ संख्यावाची और पारिभाषिक शब्दों की भी विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की।

साखी, सबद और रमैनी के साथ ही प्रो० वासुदेव सिंह ने कबीर वाणी पीयूमा, कबीर रू साहित्य, साधना और पंथ तथा हिन्दी सन्त काव्य रू समाजशास्त्रीय अध्ययन जैसी

पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर नये दृष्टिकोण से विचार किया गया है।

प्रस्तुत लेख में कबीर के साहित्य को लेकर विभिन्न प्रमुख विद्वानों द्वारा दिये गये अभिमत का पर्यवेक्षण करने के साथ ही प्रो० वासुदेव सिंह की कबीर विमायक दृष्टि को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया गया है।

कबीर—काव्य के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत—

आचार्य शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में जो स्थापनाएँ दी हैं, उनमें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं —

- 1— “जो ब्रह्म हिन्दुओं की विचार—पद्धति में ज्ञानमार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही नहीं, प्रेम का भी विमाय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया।
- 2— कबीर ने ज्ञानमार्ग की जहाँ तक बातें की हैं, वह सब हिन्दू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया।
- 3— ज्ञानमार्ग की बातें कबीर ने हिन्दू साधु—सन्यासियों से ग्रहण कीं, जिसमें सूफियों के सत्संग से उसमें प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ बनाया।
- 4— उपासना के ब्रह्म—स्वरूप पर आग्रह करने वाले कर्मकाण्ड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लाओं दोनों को उन्होंने खरी—खरी सुनाई और राम—रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया।
- 5— कबीर श्रोताओं पर अच्छी तरह भामित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वह प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी—चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी—कभी कहते थे।

इस तरह, आचार्य शुक्ल यह प्रतिपादित करते हैं कि कबीर की काव्य—पंक्तियाँ दार्शनिक धारणाओं, सूत्रों तथा अनुभवों को परंपरा में केवल दुहराती हैं। इसमें बहुत कुछ मार्मिक कविता भी विचारों की एकरसता से दब सी गई है।

(ख) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर सम्बन्धी मत—

आचार्य शुक्ल की कबीर सम्बन्धी मान्यताओं पर गौर असहमति व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी ने निम्नलिखित बातें कही हैं—

- 1— कबीर योगियों के द्वारा प्रभावित तो बहुत हैं, पर वह स्वयं वही योगी नहीं हैं। हम यहाँ फिर एक बार कहते हैं कि कबीर दास यौगिक क्रियाओं को भी बाह्याचार मानते थे।
- 2— उनका केन्द्रीय विचार भक्ति था वे भक्ति को प्रधान मानते थे। उसके लिए बाह्यचार का होना न होना गौण बात थी।

3— कबीर ने कविता लिखने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। उनकी छंद-योजना, उक्ति-वैचित्र्य और अलंकार-विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और आत्मसाधित है।

4— भामा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे 'वाणी के डिक्टेटर' थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भामा से कहलवा लिया है— बन गया है तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भामा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है।

5— इस प्रकार, हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से एकदम अलग हटकर कबीर के सम्बन्ध में बातें कहने का प्रयास किया है। लेकिन उनकी स्थापना शुक्ल जी की स्थापना को निरस्त नहीं कर पाती। द्विवेदी जी भले ही कबीर को "वाणी का डिक्टेटर" कहते हैं, लेकिन हिन्दी का सामान्य पाठक आज भी आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित 'सधुक्कड़ी' अर्थात् राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली को ही उनकी भामा मानता है।

(ग) कबीर के सम्बन्ध में डॉ० नामवर सिंह का मत —

डॉ० नामवर सिंह ने 'दूसरी परम्परा की खोज' लिखकर द्विवेदी जी को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से अलग बताने का प्रयास किया है, परन्तु वस्तुस्थिति इससे कोसों दूर है। द्विवेदी जी तथा बाद के कुछ अन्य आलोचकों ने शुक्ल जी के कबीर पर लिखे गए समस्त लेखन को पढ़े बगैर अपने काम की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करके आचार्य शुक्ल को कबीर-विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है।

(ग) प्रो० वासुदेव सिंह द्वारा कबीर काव्य का नया मूल्यांकन —

कबीर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ० वासुदेव सिंह कहते हैं कि "कबीर का व्यक्तित्व असाधारण था। वह स्वाधीनचेता प्राणी थे, पक्षपात रहित समीक्षक थे, निमकाम कर्मयोगी थे और एकता के पुजारी थे। उनमें विनयशीलता और अक्खड़पन का अद्भुत सामंजस्य था। वह वैमणव भक्तों के जप, माला, छापा, तिलक की निंदा भी करते थे। वह कुण्डलिनी के जागरण द्वारा शरीर में ही स्थित परमज्योति के साक्षात्कार का उपदेश देते थे और नाथ योगी अवधू को ललकारते भी थे। मुल्ला और पण्डित—दोनों उनके कोप के शिकार थे, किन्तु वे स्वयं को 'राम का कुत्ता' कहने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते थे।

(प) कबीर : साहित्य, साधना और पंथ—

इस ग्रन्थ में प्रो० वासुदेव सिंह ने कबीर के व्यक्तित्व और दर्शन सम्बन्धी पक्षों पर विवेचन के बाद अंत में उनके पंथ पर चर्चा की है। वे कहते हैं कि कबीर स्वातंत्र्यचेता सत थे, सत्य के निर्भीक वक्ता थे। कबीर के चार प्रमुख शिमय माने जाते हैं— जग्गूदास, भगवानदास सुरति गोपाल और धर्मदास। दो और भी शिमयों का उल्लेख मिलता है— तत्वा और जीवा।

डॉ० वासुदेव सिंह ने कहा कि कबीर 'कला कला के लिए' सिद्धान्त को नहीं मानते थे। काव्य-रचना उनका साध्य नहीं था, वह तो एक साधन मात्र था। इसलिए परम्परागत रूप में हम कबीर को भले ही कवि न मानें, पर तत्त्वदर्शी कवि के रूप में तो कबीर अन्यतम हैं।

प्रो० वासुदेव सिंह ने काव्यशास्त्रीय उदाहरणों से सिद्ध कर दिया है कि कबीर कवि ही नहीं, महाकवि हैं।

(पप) कबीर वाङ्मय —

यह ग्रन्थ जयदेव सिंह—वासुदेव सिंह द्वारा प्रणीत कबीर वाङ्मय भाग—1, रमैनी, भाग—2 सबद और भाग—3 रू साखी की व्याख्या है। कबीर साहित्य के प्रामाणिक व सटीक साहित्यिक पाठ—निर्धारण एवं व्याख्या की दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण माना जाता है। कबीर वाङ्मय भाग—1 में कबीर की रमैनीयों का सटीक पाठ—निर्धारण व भामय किया गया है। भाग—2 में सबद का सटीक पाठ—निर्धारण है। इसी भाग में 'बीजक' के अन्य काव्यरूपों—ज्ञान चौतीस विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाँचर, बेलि, बिरहुली, हिंडोला आदि की व्याख्या की गई है। भाग तीन में साखियों का प्रामाणिक पाठनिर्धारण, संख्या क्रम और अंगों के विभाजन के साथ—साथ सटीक भामय प्रस्तुत किया गया है। कबीर वाङ्मय भाग—1 की भूमिका में वासुदेव सिंह ने कहा है कि—“अभी तक हमारे देखने में जो टीकाएँ आईं, वे संतोमाजनक नहीं प्रतीत हुईं। कहीं—कहीं तो एक ही रमैनी की दो—दो, तीन—तीन विचारों के आधार पर व्याख्या लिखी गई है, जिनमें पूर्वापर—सामंजस्य नहीं दिखलाई पड़ता है।

(पपप) कबीर काव्य कोश—

किसी भी भामा में पाए जाने वाले शब्द प्रयोगों की जानकारी के लिए कोश प्रस्थान बिन्दु होते हैं। कोश तीन प्रकार के होते हैं, 1— भामा कोश, 2— विमाय कोश तथा 3— लेखक कोश। इसके अतिरिक्त, अनुवाद कोश, विश्व कोश आदि भिन्न—भिन्न कोशों की परम्पराएँ भी पाई जाती हैं।

भामा कोश के अन्तर्गत शब्द कोश, शब्द परिवार कोश, पर्यायवाची कोश, लोकोक्ति—मुहावरा कोश, प्रयोग कोश आदि आते हैं। विमाय कोश के अन्तर्गत दर्शन कोश, मनोविज्ञान कोश, भामा विज्ञान कोश, साहित्य कोश, समाजशास्त्र कोश, इतिहास कोश आदि आते हैं। लेखक कोश विमाय कोशों का ही एक महत्वपूर्ण वर्ग है। इसके अन्तर्गत जहाँ उपवर्गों में विभाजित विमायों के अलग—अलग कोश निर्मित होते हैं, वहीं विशेषज्ञान विधान के अन्तर्गत आने वाले लेखक कृतिकारों की सम्पूर्ण रचनाओं के आधार पर कोश तैयार किया जाता है।

यह कोश ग्रंथ लेखक कोश की श्रेणी में आता है। डॉ० वासुदेव सिंह ने दुरूह कार्य को सुगम बनाने का कार्य इस ग्रन्थ में किया है। यह ग्रन्थ चार उपवर्गों में विभाजित है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक एवं प्रतीकात्मक शब्द, संख्यावाची शब्द एवं सन्दर्भ तथा अन्तर कथायें। कबीर काव्य कोश, कबीर वाणी को सुगम बनाने का प्रस्थान बिन्दु है।

निमकर्मा रूप में हम कह सकते हैं कि प्रो० वासुदेव सिंह ने ठाकुर जयदेव के साथ तथा पृथक रूप में कबीर कथित साहित्य पर जिस प्रकार से विविध रूपों में विस्तार पूर्वक कार्य किया है उसके आधार पर आचार्यों, समीक्षकों, शिक्षकों, विद्वानों तथा आम जिज्ञासुओं के लिए कबीर काव्य के मर्म को समझना सरल और सुगम हो गया है। प्रो० वासुदेव सिंह ने

अपनी सूक्ष्मदर्शी तथा गवेमाणात्मक दृष्टि से कबीर के सम्बन्ध में विभिन्न भ्रान्तियों का भी पटाक्षेप कर दिया है।

संदर्भ सूची

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल— हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृमठ 22—50.
2. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर—साहित्य, पृमठ 44—45
3. सत्यप्रकाश मिश्र, सम्पादक, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के श्रेमठ निबंध पृमठ 144—145.
4. डॉ० हिमांशु शेखर सिंह—भारतीय चिन्तन और कबीर, पृमठ सं०—78.
5. प्रो० वासुदेव सिंह—कबीर शब्द—शतक, पृमठ—15.

इक्कीसवीं सदी के कहानीकारों के विविध विमर्श

डॉ. उमेश चन्द्र

हिन्दी विभाग, नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(Received: 09.03.2023, Accepted: 17.05.2023)

आजादी के लगभग तीस वर्ष बीत जाने पर भी गांवों की आर्थिकसामाजिक स्थिति में बहुत - में मिली आजादी को तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ने 1947 अंतर नहीं आया था। 'झूठी आजादी' की संज्ञा दी थी। यद्यपि यह नारा राजनीति प्रेरित था, पर इसमें सच्चाई भी थी। आजादी और उससे मिलने वाले लाभ को अधिकतर उच्चवर्ग ने, जिसमें जमींदार और बड़े भूस्वामी तथा पूँजीपति शामिल थे, और उच्च मध्यवर्ग ने, जिसमें बड़े सरकारी कर्मचारी और उच्च शिक्षित समाज था, ऊपरऊपर से ही उड़ा - लिया था या पुरचलित शब्दावली में 'हाईजैक' कर लिया था और विशेष रूप से छोटे और भूमिहीन किसान, स्त्रियां और दलित पीछे छूट गए थे। इनकी हालत आजादी के बाद बदतर होती गयी है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था, पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की तुलना में उद्योगधंधों के विकास पर अधिक बल दिया गया और परवर्ती - योजनाओं ने -पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास हाशिए पर की वस्तु हो गया है। आरंभिक विकास के ऊपरी ढाँचे को थोड़ा बहुत बदला अवश्य था गांवों, पर आर्थिक शोषण और भ्रष्टाचार, अज्ञान और अंधविश्वास, फूट और मुकदमेबाजी, ऊँचनीच का भाव और जातिवाद तब भी जस का तस था। इसके - तन साथ ही आर्थिक स्पर्धा वाले शहरी संस्कृति के प्रभाव ने ग्राम जीवन की संतोष और शांति की सना गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गयी थी और वह बढ़ती ही जा -भावना को सोख डाला था। अमीर रही थी। गांवों में जमींदारों और बड़े भूस्वामियों द्वारा दलितों का शोषण और दमन औपनिवेशिक शासन में भी होता था। दशक के ग्रामीण सामंतों और भूमिहीन 1971, विशेषकर दलित किसानों के बीच संघर्ष की स्थितियाँ भी बनने लगी, जिसकी चरम परिणति में बिहार के बेलछी गांव में हुए द 1977 दलितों के नरसंहार के रूप में सामने आयी। इसके बाद लगभग पूरे हिंदीभाषी क्षेत्र में सामंतों और दलितों का संघर्ष लगातार बढ़ता ही गया। हराकर शासन में आयी थी में जनता पार्टी कांग्रेस को 1977, पर कानून और व्यवस्था की प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ा था। में मन् 1978 नू भंडारी ने 'अलगाव-' कहानी लिखकर इस संघर्ष चित्रण की पहल की थी।

आधुनिक हिंदी कहानी भले ही अपना प्रस्थान बिंदु- 'पूस की रात' और 'कफन' कहानियों को माने, जिनमें ग्रामीण परिवेश अपनी पूरी प्रमाणिकता में उजागर होता है, किंतु के बाद कहानी में 1950 ग्राम नहीं, नगर ही मुख्यतः चित्रित हुआ है। नगर ही नहीं, महानगर मुख्यतः आधुनिक कहानी की संवेदना का केंद्र बन गया, इसलिए इस कहानी को 'नगर चेतना' की कहानी भी कहा गया है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर जैसी घनी आबादी या औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भरे नगर आधुनिक कथाकार की चेतना पर छाए रहे। मद्रास का वर्णन प्रायः इन कहानियों में नहीं है,

जिसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि इस ओर से एकाध ही कथाकार हिंदी में उभरकर आ पाए। इसलिए भारत के महानगरों में भी हिंदी कहानी मुख्यतः दिल्ली, बंबई और कलकत्ता के परिदृश्य में घूमती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् के वर्षों के आंकड़ों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय में महानगरों में जनसंख्या की बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। अपने ग्राम, कस्बे और छोटे नगरों को छोड़कर रोजीरोटी की तलाश और बेहतर जीवन जीने की सुविधाओं की प्राप्त- की आकांक्षा में शिक्षित-अशिक्षित नवयुवकों के रेले के रेले इन महानगरों में आ बसे और शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार ने इस ई स्कूलप्रक्रिया को और अधिक तेज किया। जो नवयुवक हा, इंटर, बीपास हुआ .ए.या एम .ए., वह महानगर की ओर दौड़ा। जो अशिक्षित या अल्पशिक्षित था उसे भी महानगर की औद्योगिक प्रगति ने आकर्षित किया। कलकारखानों की जीविका ने उसके सामने भी बेहतर जीवन द्वार उन्मुक्त किए। - पूंजी हुई दुकानदार और व्यापारी के पास जहां थोड़ी जमा, वह कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से महानगर या नित्य विकसित होते उसके उपनगरों या कालोनियों में आ बैठा। इस सबका परिणाम यह हुआ कि महानगर का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो उठा। जो कहानीकार गांव या कस्बे से -में गंवई 55-1950 दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे नगरों में आ बसे, उन्हें रोजीरोटी के लिए भले ही यहां आना पड़ा-, किंतु उनका मन और मानसिकता इस नए परिवेश को उसकी सहायता में ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए उस कथामूल्यों में हुए परिवर्तन-दौर के कहानीकार महानगर में आकर जीवन-, संबंधों के थोथेपन, बेगानेपन, जीवन में आई रिक्तता, ऊब, और एकरसता, महानगर की खिचकिट को अपनी -पिच और किट- कहानियों में अभिव्यक्ति दे रहे हैं, इसके पश्चात् कथाकारों की वह पीढ़ी भी सामने आई, जिसने जन्म ही शहर में लिया था और जो पलीपीढ़ी की कहानियों का स्वर -बढ़ी भी इसी परिवेश में थी। इस कथा- है बिल्कुल दूसरा, वे अपने वातावरण को कहानियों में अपने ढंग से जी रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों का यह परिणाम हुआ कि महानगर आज कहानी की संवेदना का केंद्र बिंदु है।

स्वतंत्रता के पश्चात् के वर्षों में आजीविका की तलाश में नगर या महानगर में आई पीढ़ी ने महानगरीय परिवेश को अपने लिए बहुत नया और विचित्र पाया। उसे यह वातावरण अपनी प्राकृति के अनुकूल ही नहीं लगा। इसलिए इस परिवेश में उसकी जड़ें स्थापित नहीं हो सकीं। इसका मुख्य कारण था कि इस नए परिवेश के जीवनमूल्य एकदम नए थे-, जो गांव कस्बे के नागरिक को सहज स्वीकार्य नहीं थे। यही कारण है कि कहानियों में अपनी जमीन और जीवनमूल्य छूटने से उत्पन्न एक पीड़ा है। - यदि वर्तमान पीढ़ी ने जैसेतैसे भी अपने को इस नगरीय परिवेश में ढाल लिया या ना ढालते हुए भी बर्दाश्त कर लिया तो जो पुरानी पीढ़ी के मांबाप शहर आए-, उन्हें बेटे बहू के-'नगरीय' व्यवहार और जीवनपद्धति पर एक खीझ और आक्रोश है-, किंतु कुछ न कर पाने की विवशता में यह खीझ और आक्रोश एक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है। कमलेश्वर की 'खोई हुई दिशाएं', 'अपने देश के लोग', 'अपना एकांत', 'पराया शहर' आदि कहानियों में अपना परिवेश और जीवनर्द बड़ी मूल्य छूटने का यह द- शिद्धत से अभिव्यक्त हुआ है। 'खोई हुई दिशाएं' का चंदर महानगर दिल्ली में स्वयं की पहचान, 'निजता' (आइडेंटिटीपग पर जो बेगानापन सरलता है-की तलाश में भटकता है। उसे पग (, वह परिवेश छूटने का ही दर्द है। अपने छोटे से शहर में डाकखाने का बाबू, बैंकबैठा क्लर्क काउंटर पर-, दुकानों के नामपट्ट में व्यक्ति का सारा इतिहास अभी कुछ तो उसका जाना पहचाना है, किंतु यहां आकर वह बेगानापन के जिस समुद्र में आकंठ डूबा है, इसमें उसे अपना पिछला परिवेश और जीवनरहकर याद आते -मूल्य रह- हैं।

महानगरीय जीवन में दो प्रकार का अलगाव और परायापन देखा जा सकता है। प्रथम तो अपने परिवेश से कट जाने और चिर परिचित परिवेश के जीवनमूल्य छूटने का दर्द है और महानगर की भागमभाग और व्यस्त जिंदगी एकदूसरे से बात न कर सकने-, एकदूसरे के साथ तादात्म्य न होने का - दोनों प्रकार की संवेदना अभिव्यक्त हुई है। अलगाव और परायापन है। इक्कीसवीं सदी के कहानी में महानगर में आकर संबंधों में एक खोखलापन पाना-कस्बे से नगर-गांव औपचारिकता, मानवीय प्रेम की उष्मा का अभाव, महानगरीय जीवन में स्वार्थ और दिखावेभरी जिंदगी के बीच जिस अकेलेपन और - अलगाव को व्यक्ति को भोगना पड़ा है, उसकी सशक्त अभिव्यक्ति कहानी में हुई है।

सुप्रसिद्ध कहानीकार और कथा समीक्षक-फ्रेंक ओ' कूनर ने चेखव की इस कहानी को मनुष्य के अकेलेपन की व्याख्या को चित्रित करने वाली विश्वसाहित्य की अप्रतिम कथा माना है। 'अपना एकांत' की संवेदना का स्तर भी यही है कि लाश को अपने फूल विसर्जित करने की प्रार्थना करनी पड़ती है। इस प्रकार यह कहानी महानगरीय अलगाव और परायेपन को वाणी देने वाली एक सशक्त रचना है।

मोहन राकेश की 'पांचवें माले का फ्लैट' में महानगरीय जीवन का यह अलगाव और पराया संकेतिक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। महानगर में किसी को किसी का नाम या शिखिसयत जानने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वहां के निवासियों में अपरिचय का अंतराल घिरा रहता है। जो भी " जानता है, घिसेका .को कोई गिनती में नहीं लाता। ए .कपूर के ए .पिटे दप्रतरी नाम से ही जानता है। ए- यह वह स्थिति है जिसमें "त किसी को नहीं है।मतलब अविनाश है या अशोक यह जानने की जरूर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में तब्दील होकर भीड़ का अंग बनकर परिचय की दूरियों को में खो गई है।

इक्कीसवीं सदी के हिंदी कहानी में कभीकभी ऊब-, परायापन,अकेलापन, संत्रास आदि को लेकर अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुरूप कहानियों की रचना बतौर, फैशन की गई, किंतु बतौर फैशन, महज आंदोलन में शरीक होने की मजबूरी से, लिखी गई कहानियां 'सृजित' या 'रचित' नहीं अपितु 'उत्पादित' थी। इन कहानियों में उधार की मानसिकता दिखाई देती है। निर्मल वर्मा से लेकर सातवें दशक के अंत तक लिखते लेखकों की कुछ कहानियों में अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित हो ऐसी स्थितियां निरूपित हुई किंतु वे कहानियां स्वतः ही चर्चा में नहीं रही। भारतीय परिवेश में महानगरीय जीवन की ऊब, रिक्तता, परायापन या संत्रास की जो कहानियां अनुभूति के आधार पर रची गईं, नारों के आधार पर नहीं, वे ही सफल बन सकी हैं।

इक्कीसवीं सदी के यथार्थवादी कहानी जीवन के अधिक निकट रहता है। वह जीवन जैसा है उसे ठीक वैसा ही उपस्थित करता है अतः सत्य चित्रण इसकी प्रमुख विशिष्टता है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो वह साधारण और नज़दीकी वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं। यथार्थवाद पूंजीवाद संस्कृति की चमकदमक को धिक्कारता है और बुर्जुआ संस्क-ृति का प्रतिरोध भी करता है क्योंकि उसमें मनुष्य के स्थान पर पूंजी एवं अर्थ को अधिक महत्व दिया गया है। अतः यथार्थवादी कहानी स्वभाविकता का साहित्य है।

आदर्श और कल्पना का विरोध-

यथार्थवाद में लेखक कल्पना के पंख लगाकर आसमान में उड़ने का प्रयास नहीं करता बल्कि

भौतिकवाद के रूप में अस्तित्व रखनेवाली वास्तविकता को व्यक्त करने का प्रयास करता है। वह कल्पना से दूर रहने के साथ ही साथ किसी आदर्श को मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। वह सामान्यतः केवल समस्या का चित्रण करता है। उसका उत्तर नहीं देता है त्रिभुवन सिंह जी के अनुसार " - यथार्थवाद का मूल सिद्धांत है वस्तु को उसके यथार्थ रूप में चित्रित करना और न किसी धार्मिक या सा होना चाहिए अतः यथार्थवाद जीवन के "नैतिक आदर्श के लिए उसे काट छांट कर उपस्थित करना का उत्तर नहीं देता है। विश्व विख्यात फ्रांसीसी लेखक जोला ने यथार्थवाद की परिभाषा कल्पना का निषेध और आदर्श का बहिष्कार कहकर की थी। उसके अनुसार यथार्थता का आधार वास्तविक " अनुभव में होता है।

जीवन का यथार्थ चित्रण-

यथार्थ, दृष्टि, यथायोग्य या यथावत् चित्रण यथार्थवादी साहित्य का प्रमुख मुखमुद्रा है। ये सुंदर-असुंदर, गुण, अवगुण, श्लीलअश्लील-, सब के यथार्थ चित्रण का पक्षधर है पर ये किसी प्रकार के बंधन, मर्यादा अथवा सीमा के पक्षधर नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार कला कला के लिए नहीं, जीवन की अभिव्यक्ति को ही वह कला मानते हैं। लूकस जॉर्ज के अनुसार सच्चे यथार्थवादी साहित्य की यह " प्रमुख विशेषता है कि लेखक बिना किसी भय अथवा पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने आसपास देखता है उसका चित्रण करें। 3"वास्तव में यथार्थवादी साहित्य में जीवन की प्रतिच्छाया होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद लेखक जीवन क्या है? इसका चित्रण करता है।

असहाय स्थिति (क), वेदना और पीड़ा -

समाज के अधिकांश आमवर्ग समाज में फैले भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, पक्षपात आदि से अत्यधिक पीड़ित एवं दुःखी है। वह इनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है, पर शोषणकर्ता उससे अधिक शक्तिशाली है। अतः वह विरोध नहीं कर पाता। अतः इन विषम परिस्थितियों में असहाय होकर वह वेदना और पीड़ा सहता है। इस स्थिति का चित्रण यथार्थवादी साहित्य में हुआ है।

-कुरूपता और भद्दापन (ख)

नग्न यथार्थ स्वभाविक रूप से कुरूप होता है। जब लेखक समाज में निहित पुरानी रूढ़ियों, संस्कारों, अनैतिक, आचरण, अत्याचार, शोषण और जीवन की कड़वी सच्चाईयों का वर्णन करता है तो ये तथ्य सत्य होते हुए भी कुरूप एवं भद्दे लगते हैं। यह प्रवृत्ति हम प्रायः सभी यथार्थवादी कृतियों में देख सकते हैं।

-भय और आतंक (ग)

समाज में जब शोषण कर्ता अत्यधिक बर्बर एवं शक्तिशाली हो तो स्वाभाविक रूप में आम-जनता उससे भयभीत एवं आतंकित रहती है। इसी भय और आतंक के कारण समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध आवाज सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि शोषणकर्ता के विरुद्ध यदि आवाज उठाई गयी तो वह से निर्ममता उसे कुचल देता है। प्रायः व्यक्ति समाज में निहित इस अनाचार का विरोध भय के कारण नहीं करता। इस स्थिति का चित्रण भी यथार्थवादी अपनी रचनाओं में करते हैं।

-संबंधों का विघटन और मूल्य: संघर्ष (घ)

इक्कीसवीं सदी मानव पहले की तरह भावना प्रधान नहीं बल्कि अत्यंत यथार्थवादी हो गया है। अब वह भावना को नहीं अर्थको प्रधानता देता है। फिर वर्तमान दशक में यांत्रिकता-, स्वार्थ व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आदि से आज संबंधों का विघटन काफी व्यापक स्तर पर हुआ है। वैज्ञानिक " न्न तार्किक बुद्धि युक्प्रगति के कारण उत्पत्त आज का आधुनिक मानव परंपरागत जीवन मूल्यों का अन्धानुकरण न करके उन्हें तर्क और कसौटी पर कसना चाह रहा है। अतः परंपरागत जीवन मूल्यों के आगे आज प्रश्न चिह्न लगाए जा रहे हैं।

- मोह भंग (ङ)

इक्कीसवीं सदी के युग में व्यक्ति यथार्थवादी या अत्यधिक व्यवहारिक हो गया है। अब वह संबंधों में भावना को नहीं अर्थ को महत्व देता है। अतः आधुनिक युग में संबंध शिथिल हो गए हैं आज संबंध उपयोगिता के दृष्टि से ही बनाये जाते हैं। फिर भी जो व्यक्ति समझते हैं कि कोई व्यक्ति उसका हमेशा साथ देगा, तो शीघ्र ही उसका यह सपना टूट जाता है क्योंकि व्यक्ति अब अपने स्वार्थ की बात ही ज्यादा सोचता है। साथ ही आज के युग में जहां भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अत्याचार, शोषण आदि फैला हुआ है वहां यदि मनुष्य न्याय चाहता है तो अतिशीघ्र उसका मोहभंग हो जाएगा। सामान्यतः व्यक्ति युग की चाल जानता है, अतः दुःखी नहीं होता है। पर जो व्यक्ति इससे अनभिज्ञ हैं उन्हें यह सदमा सहना पड़ता है। मोहभंग की यह प्रवृत्ति भी हम यथार्थवादी साहित्य में देख सकते हैं।

-पलायनवादी प्रवृत्ति (च)

वर्तमान युग में मनुष्य को विषम परिस्थितियों में निर्वाह करना पड़ रहा है। अर्थात् मनुष्य को आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, पोषणशोषण आदि को मजबूरन सहना पड़ रहा है। इसे अधिकांश लोग सह - लेते हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो परिस्थितिवश और मनोदशा के कारण पूर्णतः टूट जाते हैं। अतः वे इन दूर अपने ही मानसिक जगत में विषम परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं और जीवन संघर्षों से विचरण करने लगते हैं। पलायनवादी का अर्थ है विषम परिस्थितियों से त्रस्त होकर मुक्ति के लिए उनसे मुंह मोड़ लेना। यह प्रवृत्ति प्रायः नग्न यथार्थवादी कृतियों में ही पायी जाती है।

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज में हम स्त्रीबंधों में एक विशेष परिवरपुरुष सं- ्रतन देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसे स्वातंत्र्योत्तर सभी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में रूपायित करने का प्रयास किया है। स्त्रीपुरुष के बदलते संबंधों को लेकर जितनी कहानियां इस युग में लिखी गयी - य पर नहीं लिखी गयी। राजेंउतनी कहानी किसी अन्य विषय यादव, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर, श्रीकांत वर्मा आदि अनेक समकालीन कहानीकारों ने स्त्रीपुरुष के पारस्परिक संबंधों - में होने वाली इसी परिवर्तन का चित्रण किया है।

आज स्त्रीते हैं। यही कारण है कि आजपुरुष दोनों स्वतंत्र व्यक्तित्व चाह- विवाह जैसी परंपरागत बंधन ढीले पड़ गए हैं। एक जमाना था जब किसी पिता की पुत्री किसी पिता के पुत्र के साथ एक झटके के साथ जुड़ जाती थी। अग्नि और ब्राह्मणों के साक्ष्यों में, जाति के कुछ सदस्यों की उपस्थिति में सात फेरे खाकर पुरुष के साथ जन्मजन्मांतर के लिए ह-ो जाती थी। विवाह एक आकस्मिक घटना थी। अच्छा हो या बुरा, जुल्मी हो या दयालु, शराबी हो या जुआरी, पत्नी के साथ ईमानदार हो या न हो,

स्त्री की जीवनचर्या में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भाग्य और भगवान पर भरोसा रखकर पति सेवा में सारी जिंदगी बिता देने के अभिशाप को झेलना उसकी मजबूरी थी। वह विवाह से पहले पिता की पुत्री, विवाह के बाद पति पत्नी और उसके बाद पुत्रों की मांइन रूपों में जिंदगी भर गुलाम बनकर रहती थी। - क पर आधुनिक नारी कानूनी रूप से और उससे ज्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। उसकी आर्थि स्वावलांबिता ने उसे अपने योग्य पुरुष चुनने एवं चुनने की शक्ति दी है। यही कारण है कि परंपरागत विवाह संस्था नकारा साबित होने लगी है। एक और पुरुष स्वतंत्र रूप से सेक्स जीवन की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर स्त्री विवाह संस्था को अपने व्यक्तित्व रक्षा के अनुसार तोड़ना मरोड़ना चाहती है।-इन दो माँगों के आपसी तनाव पर स्त्रीहर उत्तर नए " पुरुष संबंधों के कई प्रश्नो और उनके उत्तर दिए जा रहे हैं।- इस स्त्री पुरुष संबंधों की समस्या "प्रश्न का निर्माण कर रहा है फलतः समस्याओं का नैरंतर्य बरकरार है।

सर्वी सदी के कहानीकारों नेका सार्वधिक चित्रण इक्कीकिया हैकहानीकारों ने यदि सबसे अधिक - पत्नी के टूटते हुए संबंधो के बारे में या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन के -लिखा है तो पति पुरुष के नये संबंधों के बारे में।-पत्नी या स्त्री-बदलते हुए पति

कहानी और दलित कहानी में विधा की दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु विषयवस्तु-, शिल्प, पात्र चयन, मूल्य और सिद्धांतों की दृष्टि से इनमें अनेक भिन्नताएँ और अनेक विशेषताएँ है - पहली विशेषता तो यह है कि परंपरागत कहानी के लेखक खासकर हिंदी में गैर दलित ही है, उन पर डॉ . के बजाय मार्क्स अम्बेडकर विचारधारा, गांधी, लोहिया था अन्य विचारधारा का प्रभाव है। किंतु दलित कहानीकार दलित वर्ग के व्यक्ति हैं जिन पर ज्योतिबा फुले व डॉअम्बेडकर का समतापरक ., भातृत्वमूलक और राष्ट्रीय एकता के विचारों का सीधा प्रभाव है। इनमें पूर्व दलितों को विषय बना कर गैरतों ने भी कहानियां लिखीदलि-ं। प्रमुखता से कथाकर प्रेमचंद्र ने दलितविषयक कथा साहित्य भारी - मात्रा मे लिखा है।

इक्कीसर्वी सदी के दलित कहानीकारों द्वारा लिखी गई कहानियों पर शोध या पाठ्य सामग्री के रूप में अभी पर्याप्त अध्ययन नहीं हुए हैं। इस कारण वे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के अध्ययन की मुख्यधारा में नहीं है, किन्तु इतिहास की दृष्टि से डॉक्टर अंगने लाल कृत आदिवंश कथा प्रकाशित हो - चुकी है, जिसमें ऐतिहासिक पात्रों से जुड़ी कथाओ जैसे ऋषि शंबूक कथा, एकलव्य कथा, सूपा ऋषि की कथा, संत शिरोमणि कथा, रैदास जी की कथा, बोधिसत्व, बाबा साहब अंबेडकर की कथा और लोकमंगल धर्म की कथा आदि लघु पुस्तिकाओं को ही हम 'दलित कथासाहित्य-' का प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं। इन कथाओं में उपर्युक्त ऐतिहासिक पात्रों की शूवीरता, स्वाभिमान, त्याग, बलिदान तथा संघर्षों के मार्मिक चित्रण है। यह पुस्तकें सोहेश्य लिखी गई है। आम दलित समाज को अपने ऐतिहासिक पूर्वजों का ज्ञान कराना मुख्य उद्देश्य रहा है।लेखक डॉक्टर अंगने लाल के शब्दों मेंकिसी भी कौम की " - तरक्की का सबसे बड़ा साधन उसके इतिहास का ज्ञान है। विद्वानों का मत है कि जिस किसी भी देश वा जाति को गुलाम बनाना हो तो उसके इतिहास को कर देना चाहिए। आज शुद्र कहे जाने वाले भारत के बोध-इतिहास "आदिवासियों के लिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। -'इस पुस्तक का सकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसका कमजोर व नकारात्मक पक्ष भी है इसमें डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गौतम बुद्ध को हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकला-पों के समान पूजापाठ जैसे नए कर्मकांड तक - सीमित करके उनके विचारों का अंत कर दिया गया है या कहें कि उनके व्यक्तित्व को पुजामय बना कर धा है। इस परिवर्तन की व्यक्ति संभव चेतना से पूर्ण विचारों की प्रभावशीलता के दायरे में बां-उनके समाज

कथा नामक पुस्तक मे-वंश-आदि सत्यनारायण की लीलावतीकलावती की कथा की तर्ज पर दलित - कथा करने की विधि है। पुस्तिकाओं के शीर्षक से स्पष्ट होता है कि लेखक प्रतिक्रियावादी है। बाबा मिक पुरुष बना अंबेडकर के नाम के साथ बोधिसत्व शब्द चरपा कर देना भी उनको निरा धा.साहब डॉ देना है या उन्हें बुद्ध का नया अवतार साबित करना है जो खुद पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे।

संदर्भ सूची

1. मोहन राकेश - 'पांचवे माले का फ्लैट', 'मेरी प्रिय कहानियां', पृ.125 .
2. त्रिभुवन सिंह .14.पृ - स और यथार्थवादहिंदी उपन्या -
3. शिवनारायण श्रीवास्तव .46 .पृ - सहिंदी उपन्या -
4. मोहन सिंह स साहित्यसातवें दशक के हिंदी उपन्या -, पृ.153.
5. डॉ.34 .पृ - सिद्धांत और प्रयोग : कहानी की संवेदनशीलता - भगवान दास वर्मा .
6. अंगने लाल कथा-वंश-आदि -, बहुजन कल्याण प्रकाशन, सादतगंज, लखनऊ, प्रथम सं .
.1973

कौशल भारत एवं ग्रामीण युवा

डॉ. पुष्पांजलि पाल, ²मनोज कुमार

¹ सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग,

नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय प्रयागराज

²शोध छात्र (NET-SRF), समाज कार्य विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय प्रयागराज

(Received: 23.01.2023, Accepted: 19.04.2023)

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत को गाँवों का देश भी कहा जाता है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत के कुल आबादी की 70% जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है, जिनमें से काफी बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है, संयुक्त राष्ट्र की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश भारत है अर्थात् दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है जिनकी संख्या 35.6 करोड़ है एवं औसतन आयु 29 साल है. कोई भी देश आर्थिक समृद्धि की उचाईयों को तभी छू सकता है जब वहाँ का युवा कौशलपूर्ण उपयोगी मानव संसाधन के रूप में हो, अतः देश के युवाओं का कौशलपूर्ण विकास बहुत ही जरूरी है, आने वाला समय इन्ही कौशलयुक्त युवाओं का है, विश्वबैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्रमशील जनसंख्या 2040 तक बढ़ेगी जिसके कारण भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बन सकता है।

यद्यपि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है लेकिन बाजार से संचालित होने वाले अच्छे कौशल का अभाव अब भी एक चुनौती है, हर वर्ष श्रम शक्ति में प्रवेश करने वाले 1 करोड़ 20 लाख में से केवल 2 प्रतिशत ही ऐसे होते हैं जिन्हें औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

अतः प्रस्तुत शोध पत्र ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास कार्यक्रम के प्रभाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, यह शोध पत्र विभिन्न प्रकार के प्रकाशित द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

प्रस्तावना

15 जुलाई 2015 को कौशल भारत (स्किल इंडिया) योजना की शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत देश के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दे कर एवं उनके कौशल को निखार कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है एवं एक उपयोगी कौशलपूर्ण मानवसंसाधन को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने के लिए विकसित किया जा रहा है।

उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं एवं ग्रामीण युवाओं के रोजगार उन्मुख कौशलों की विकास के अंतर्सम्बंध को दर्शाना है।

कौशल भारत योजना का संरचनात्मक ढांचा –

कौशल भारत योजना की संरचनात्मक ढांचे पर अगर हम गौर करें तो कौशल भारत योजना में चार मुख्य प्रयास एक साथ शुरू किये गए जिन्हें हम बिंदुवार देख सकते हैं

- 1- राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान
- 2- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय नीति 2015
- 3- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- 4- कौशल ऋण योजना

कौशल भारत योजना के उद्देश को पूरा करने के लिए अर्थात् युवाओं को कौशलपूर्ण बनाने के लिए देश के लगभग हर प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी कौशल भारत योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह इसमें काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कौशल विकास का अर्थ एवं भारत में युवा कौशल विकास - कौशल विकास से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रशिक्षण के द्वारा एक विशेष कला या कौशल में पारंगत हो कर आत्मनिर्भर या स्वरोजगार के योग्य स्वयं को बना सके।

भारत में युवा कौशल विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है युवाओं को आत्मनिर्भर एवं देश के विकास में योगदान देने लायक बनाने के लिए युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है कौशल भारत कौशल भारत के मूलमंत्र को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारत सरकार प्रयास-

-1 **स्किल इंडिया कार्यक्रम** करोड़ लोगों को कौशल प्रदान 30 तक कम से कम 2022 इसके तहत वर्ष : करना है।

-2 **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** यह स्किल इंडिया का हिस्सा है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण सम्बंधित शुल्क सरकार ही वहन करेगी इसका प्रमुख कार्य लोगों को कम अवधि का प्रशिक्षण-150) 300घंटे का प्रशिक्षणों प्रदान करना है इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले साझेदार कुछ को रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करेंगे।

कौशल विकास की चुनौतियाँ भारत सरकार व राज्य सरकारों की इतनी पहल के बावजूद देश में बेरोजगारी दर में बढ़त ही देखी जा रही है और आज का युवा बेरोजगारी से ही परेशान है और ग्रामीण बढ़तर है युवाओं की स्थिति और भी।

भारत में कौशल विकास की कई चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटना बहुत कठिन परन्तु अत्यंत आवश्यक है-

- 1 **अप्रयास प्रशिक्षण** भारत में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों में भी बेरोजगारी देखी जा रही है इसका मुख्य : कम अवधि के प्रशिक्षण , का कम होना कारण गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का न होना या प्रशिक्षण की अवधि में सीखने की सम्भावनाये भी कम होती है।

-2उधामिता कौशल की कमी भारत सरकार का मानना था की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के : तहत प्रशिक्षण प्राप्त लोग स्वरोजगार से जुड़ेंगे इससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी परन्तु ऐसा न हो सका %24 केवल लोग ही अपना व्यवसाय शुरू कर सके।

-3युवाओं में कम रुचिद्यार्थियों का नामांकन छात्र क्षमता से कम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वि : होना यह साफ़ इंगित करता है की रुचि एवं जागरूकता दोनों की कमी है।

सुझाव:

- 1- प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए खर्च में वृद्धि करनी होगी तभी स्किल इंडिया कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देनेमें सक्षम होगा, स्कूली शिक्षा का बजट घटाने की अपेक्षा बढ़ाना होगा।
- 2- प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन एवं संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- 3- युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग भी देना चाहिए।
- 4- स्कूली स्तर की शिक्षा में ही ऐसे रोजगार परक विषयों का समावेश करना चाहिए जिनको आगे चल कर छात्र अपना व्यवसाय बना सके।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में बेरोजगारी भारत की मुख्य समस्या बन कर और भी तेजी से उभरी है इसके कई कारण है परन्तु मुख्य कारण भारत की युवा पीढ़ी का ज्यादातर हिस्से का कौशल विकास न होना है , भारत में स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक विषयों की कमी युवा बेरोजगारी का भी एक कारण है, तथा कौशल विकास योजनाओं का सही प्रकार से प्रचार प्रसार एवं किर्यान्वयन न होना भी एक काफी बड़ा कारण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- www.upsdm.gov.in
- www.ictactjournals.in
- www.msde.gov.in
- योजना march 2020
- कुरुक्षेत्र मार्च 2020
- www.navbharattimes.indiatimes.com
- National skill Development Mission- A Framework for implementation
- www.censusindia.gov.in
- www.labour.gov.in

क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में उनके आक्रामकता का अध्ययन

¹आकांक्षा मिश्रा एवं ²डॉ. श्रवण मिश्र

शिक्षक-शिक्षा विभाग

नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(Received: 23.02.2023, Accepted: 19.04.2023)

सारांश

समस्या कथन में क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में उनके आक्रामकता का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन को करने हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत अन्तर्सम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु जनसंख्या में प्रयागराज जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में बी0ए0 एवं बी0एस-सी0 की कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श में सम्मिलित करने हेतु प्रयागराज जनपद के 10 शहरी एवं 10 ग्रामीण महाविद्यालयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसमें अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। शहरी एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में से कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के 300-300 छात्र-छात्राओं को यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से चुना गया। हरप्रीत भाटिया एवं एन.के. चढ़ढा द्वारा निर्मित "पारिवारिक वातावरण मापनी" तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के आक्रामकता को ज्ञात करने हेतु डॉ. आर.एल. भारद्वाज द्वारा निर्मित "आक्रामक मापनी" का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि- स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध एवं स्वीकार्यता एवं देखभाल का उनके आक्रामकता के मध्य नकारात्मक सहसंबंध तथा स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता के मध्य नकारात्मक सहसंबंध है।

की-वर्ड- स्नातक स्तर, छात्र-छात्राएँ, शहरी, ग्रामीण पारिवारिक वातावरण, संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, सक्रिय मनोरंजन, विरोध, स्वच्छंदता, व्यवस्था एवं नियंत्रण, आक्रामकता, सहसम्बन्ध गुणांक

प्रस्तावना-

आक्रामक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विध्वंसपूर्ण कार्य करने लगता है, वस्तुएँ उठाकर फेंकने लगता है और गाली से युक्त भाषा का प्रयोग करता है। उसमें बदले की भावना जन्म ले लेती है। ऐसे व्यक्ति आन्तरिक रूप से बहुत ही परेशान

व असुरक्षित होते हैं। कभी-कभी न चाहते हुए भी नकारात्मक या समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं।

आक्रामक व्यवहार में मूल प्रवृत्ति को मुख्य माना है। उनके अनुसार एक आक्रामक बालक वही है जो क्लेश की तीव्र मूल प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है। सभी का कहना है कि एक बच्चा केवल इसलिए आक्रामक नहीं है कि वह क्लेश की तीव्र मूल प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ है, बल्कि इसलिए आक्रामक है कि उसकी मूल आवश्यकताएँ जैसे— प्यार, सुरक्षा, साहस आदि अन्य दूसरी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है।

आक्रामक विद्यार्थी स्वयं के लिए ही समस्या नहीं होते अपितु परिवार तथा विश्व के लिये और भी बड़ी समस्या बन जाते हैं। हमारे देश में विद्यार्थियों में अनुशासनता की भावना जो कि आक्रामकता का एक प्रदर्शन मात्र है जिसने विविध शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यदि विद्यार्थी विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को बिना विघ्न डाले ही कार्य करने दे तो शिक्षा की उन्नति वर्तमान और प्रतिक्रियाओं से अधिक होगी। कभी-कभी विद्यार्थी आक्रामक एवं प्रतिक्रियावादी स्वभाव के कारण उनके समस्याएँ उत्पन्न करके अपने उन्नति के मार्ग में स्वयं ही बाधक बन बैठते हैं।

जिसमें **हर्टशैर्न ए० तथा मे०एम०एस० (1927)** के परिणाम, माता-पिता द्वारा उपेक्षित बालकों में आक्रामक तत्व अधिकांश पाया गया। इसके विपरीत माता पिता द्वारा ग्राह्य बालक सुव्यवस्थित पाये गये। **होलिनबग ई० एवं स्पैरी एम० (1950)** के परिणाम जो बच्चे अपनी मां के प्रति अधिक नैराश्यता का अनुभव करते हैं अधिक आक्रामक होते हैं। **लेविन एच० एवं आर०वी० सीर्य (1966)** के परिणाम माता-पिता जो कि अपने बच्चों के प्रति उपेक्षित व्यवहार दिखाते हैं, समय-समय पर प्रताड़ना देते रहते हैं। ऐसे परिवार से युक्त बच्चे अधिक आक्रामक पाये जाते हैं। परिवार में बच्चों की संख्या एवं उनके क्रम का प्रभाव भी आक्रामक व्यवहार में परिलक्षित होता है। **यिज़ेन और जंक्सिया (2006)** के परिणामों से पता चला कि मातृ शिक्षा, पैतृक व्यवसाय, परिवार का प्रकार, माता-पिता के बच्चे के पालन-पोषण का रवैया और पैटर्न, छात्रों के पारस्परिक संबंध बच्चों और किशोरों की आक्रामकता से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े थे। **शर्मा (2012)** के परिणामों ने प्रदर्शित किया कि पारिवारिक वातावरण ने आक्रामक व्यवहार को प्रभावित किया और पुरुषों और महिलाओं के आक्रामक व्यवहारों के कुछ अलग सहसंबंधों की सूचना दी। **सी., एलियाह इरोजुरु और एम. उकपोंग एनो (2015)** के शोध विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि परिवार का आकार, परिवार संरचना और परिवार का प्रकार छात्रों के आक्रामक व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

कौर, धनविंदर और निवास, राम (2016) के परिणाम, आक्रामकता और पारिवारिक वातावरण के अधिकांश आयामों के बीच नकारात्मक सहसंबंध पाया गया। **अजय और सोना (2016)** के परिणाम पारिवारिक वातावरण के पांच आयामों (अर्थात् सामंजस्य, संघर्ष, स्वीकृति और देखभाल, स्वतंत्रता और सक्रिय मनोरंजक अभिविन्यास) के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की आक्रामकता के बीच

एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध पाया गया। **शर्मा, दीपिका और सांगवान, शीला (2016)** के परिणाम आक्रामकता का संघर्ष आयाम के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण सहसंबंध था, जबकि सामंजस्य, अभिव्यक्ति, स्वीकृति और देखभाल, सक्रिय मनोरंजक संगठन, स्वतंत्रता, संगठन और नियंत्रण आयामों के साथ नकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से सहसंबंध था। **शर्मा, प्रियंका (2019)** के परिणाम अनुकूल पारिवारिक वातावरण के किशोर कम आक्रामक थे। ग्रामीण किशोर ग्रामीण किशोरों की तुलना में अधिक आक्रामक पाए गए। **ठाकुर, सोना एवं ग्रेवाल, कुलदीप कौर (2021)** के परिणाम स्पष्ट रूप से किशोर छात्रों के समग्र आक्रामकता और पारिवारिक वातावरण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध का संकेत देते हैं।

रमजानखानी, अली (2021) के निष्कर्ष इस अध्ययन के परिणामों के अनुसार पारिवारिक कारक किशोर हिंसा से संबंधित हैं। इस उम्र में किशोरों की स्वतंत्रता और किशोरों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अन्य सामाजिक औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में, किशोरों के व्यवहार पर परिवार की मजबूत और प्रभावशाली भूमिका काफी स्पष्ट है।

हाइजोमी, हालेह (2021) के परिणाम कम माता-पिता का समर्थन, शरीर की छवि के साथ कम संतुष्टि, अकेलेपन की उच्च भावना और कम कथित सामाजिक स्वीकृति आक्रामकता को प्रभावित करने वाले कारक पाए गए। वर्तमान अध्ययन में पाया गया कि स्कूल का वातावरण, घर का वातावरण, व्यक्तिगत और पारस्परिक कारक सभी आक्रामकता में भूमिका निभाते हैं।

कडापट्टी, मंजुला जी. एवं विजयलक्ष्मी, ए.एच.एम. (2012). के परिणामों में दिये गये निहितार्थ माता-पिता को बच्चे की रुचि और योग्यता पर विचार करना चाहिए न कि पाठ्यक्रम के चयन पर थोपना चाहिए। पारिवारिक वातावरण अनुकूल होना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाया जाना चाहिए और माता-पिता को इसे किशोरों के लिए एक तनावपूर्ण घटना के रूप में बनाने से बचना चाहिए। अंततः छात्रों को अपने शैक्षणिक जीवन में प्रगति करने और अपने लक्ष्य या लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सहायक और उत्तेजक वातावरण बहुत आवश्यक है। **कुमार, नरेन्द्र (2017)** के परिणामस्वरूप दिये गये निहितार्थ में परिवार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है बालक का सामाजिकरण करने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है किशोर के अच्छे बुरे व्यवहार के लिए परिवार जिम्मेदार होता है यदि परिवार का वातावरण शांत सहयोग प्रेमयुक्त होता है तो बालक में भी हर्ष एवं आनन्द का वातावरण पैदा होता है इसका कारण यह है कि किशोरावस्था में बालक-बालिकाओं में अनेक क्रान्तिकारी और मानसिक परिवर्तन होते हैं। उन्हें अनेक जटिल समस्याओं जैसे आर्थिक संवेगात्मक पारिवारिक जीवन स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण आदि का सामना करना पड़ता है, जिनका प्रभाव उनके सामाजिक विकास पर पड़ता है।

समस्या कथन—

क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में उनके आक्रामकता का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य—

अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता पर अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता पर अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ—

अध्ययन की शून्य परिकल्पनाएँ निम्नवत् है—

1. स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके आक्रामकता के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
2. स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके आक्रामकता के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

शोध—प्रविधि—

इस अध्ययन को करने हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत अन्तर्सम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु जनसंख्या में प्रयागराज जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में बी०ए० एवं बी०एस—सी० की कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श में सम्मिलित करने हेतु प्रयागराज जनपद के 10 शहरी एवं 10 ग्रामीण महाविद्यालयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसमें अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। शहरी एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में से कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के 300-300 छात्र-छात्राओं को यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से चुना गया। हरप्रीत भाटिया एवं एन.के. चढढा द्वारा निर्मित "पारिवारिक वातावरण मापनी" तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के आक्रामकता को ज्ञात करने हेतु डॉ. आर.एल. भारद्वाज द्वारा निर्मित "आक्रामक मापनी" का प्रयोग किया गया है।

ऑकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—

1. स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता पर अध्ययन—
H₀₁ स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके आक्रामकता के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

तालिका-1
स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध गुणांक

क्र. सं.	चर	ग्रामीण विद्यार्थियों की सं०	सहसंबंध गुणांक
1	संगठित	300	-0.1907*
2	प्रकटीकरण	300	-0.1692*
3	विरोध	300	0.2402*
4	स्वीकार्यता एवं देखभाल	300	-0.2235*
5	स्वच्छंदता	300	-0.0512
6	सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण	300	-0.0344
7	व्यवस्था	300	-0.0820
8	नियंत्रण	300	-0.0706
9	पारिवारिक वातावरण	300	-0.1171

*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

व्याख्या-

स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध एवं स्वीकार्यता एवं देखभाल का उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः -0.1907, -0.1692, 0.2402 एवं -0.2235 है जो कि .01 सहसंबंध गुणांक के क्रान्तिमान मान 0.148 से अधिक है। परिणामतः स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध एवं स्वीकार्यता एवं देखभाल का उनके आक्रामकता के मध्य नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध है अर्थात् स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध एवं स्वीकार्यता एवं देखभाल में वृद्धि होने पर उनके आक्रामकता में कमी होगी एवं स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध एवं स्वीकार्यता एवं देखभाल में कमी होने पर उनके आक्रामकता में वृद्धि होगी। जबकि पारिवारिक वातावरण के घटक विरोध में धनात्मक सहसंबंध पाया गया अर्थात् विरोध में वृद्धि होने पर आक्रामकता में कमी होगी।

स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः -0.0512, -0.0344, -0.0820, -0.0706 एवं -0.1171 है जो .01 पर सहसंबंध के गुणांक मान 0.115 से कम है अर्थात् स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है अर्थात् स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण

पारिवारिक वातावरण में वृद्धि एवं कमी का उनके आक्रामकता में कमी एवं वृद्धि में संबंध नहीं है।

1. स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता पर अध्ययन—
- H_{02} स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके आक्रामकता के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है—

तालिका-2

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध गुणांक

क्र.सं.	चर	विद्यार्थियों की सं०	सहसंबंध गुणांक
1	संगठित	300	-0.3952*
2	प्रकटीकरण	300	-0.0946
3	विरोध	300	0.4000*
4	स्वीकार्यता एवं देखभाल	300	-0.3475*
5	स्वच्छंदता	300	-0.1430
6	सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण	300	-0.1609*
7	व्यवस्था	300	-0.2066*
8	नियंत्रण	300	-0.1871*
9	पारिवारिक वातावरण	300	-0.2734*

*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

व्याख्या—

स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः -0.3952, 0.4000, -0.3475, -0.1609, -0.2066, -0.1871 एवं -0.2734 है जो कि .01 सहसंबंध गुणांक के क्रान्तिमान 0.148 से अधिक है। परिणामतः स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता के मध्य नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध है अर्थात् स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण में वृद्धि होने पर उनके आक्रामकता में कमी होगी एवं स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण में कमी होने पर उनके आक्रामकता में वृद्धि होगी। जबकि

पारिवारिक वातावरण के घटक विरोध में धनात्मक सहसंबंध पाया गया अर्थात् विरोध में वृद्धि होने पर आक्रामकता में कमी होगी।

स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों प्रकटीकरण एवं स्वच्छता का उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः -0.0946 एवं -0.1430 है जो .01 पर सहसंबंध के गुणांक मान 0.115 से कम है अर्थात् स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों प्रकटीकरण एवं स्वच्छता का उनके आक्रामकता के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है अर्थात् स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों प्रकटीकरण एवं स्वच्छता में वृद्धि एवं कमी का उनके आक्रामकता में कमी एवं वृद्धि में संबंध नहीं है।

निष्कर्ष—

अध्ययनोपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये—

- स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध एवं स्वीकार्यता एवं देखभाल का उनके आक्रामकता के मध्य नकारात्मक सहसंबंध है।
- स्नातक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों स्वच्छता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण के मध्य सहसंबंध नहीं है।
- स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छता, सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके आक्रामकता के मध्य नकारात्मक सहसंबंध है।
- स्नातक स्तर के शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों प्रकटीकरण एवं स्वच्छता का उनके आक्रामकता के मध्य सहसंबंध नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कुमार, नरेन्द्र (2017). एकल एवं संयुक्त परिवार के किशोरों के आक्रामक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, रिसर्च रिव्यूेशन, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एण्ड मैनेजमण्ट, वॉल्यूम-ट, इश्यू-5, पृ0 16-18
- पारीक, एकता एवं शर्मा, गीता (2015-17). उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आक्रामक व्यवहार पर सामाजिक वातावरण और आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, बियानी गर्ल्स बी.एड कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)
- हर्टशैर्न ए0 तथा मे0एम0एस0 (1927) "स्टडीज इन सर्विस एण्ड सेल्फ कन्ट्रोल,, न्यूयार्क, मैकमिलन एण्ड कम्पनी।
- शर्मा, अभिमन्यु प्रसाद (2012). अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके उपलब्धि पर उनके आत्मबोध के प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- सिंघल, उमारानी (1976-77). आक्रामक व्यवहार के सन्दर्भ में व्यक्तित्व कारकों को अध्ययन" अप्रकाशित एम0एड0 लघुशोध प्रबन्ध, आगरा दयालबाग, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।
- Ajay, K. and Sona, T. (2016). Aggression Among Senior Secondary Students In Relation To Family Environment. *International Journal of Recent Scientific Research*.7 (1), 8302-8305.

-
- Jassar, Rupneet Kaur and Sharma, Namu (2022). Study of Parent-Child Relationship in Relation to Self-Concept of Secondary School Students. *International Journal of Research Publication and Reviews*, Vol 3, no 12, pp 1173-1177.
 - Ramezankhani, Ali (2021). Family Factors Affecting Adolescent Violence: A Qualitative Content Analysis, *Int J High Risk Behav Addict*. 2021 June; 10(2):e96906
 - Sharma, Priyanka (2019). Aggression in Relation to Family Environment of Adolescents Belonging to Urban And Rural Areas, *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, January 2019, Volume 6, Issue 1, pp. 212-217
 - Thakur, Sona and Grewal, Kuldip Kaur (2021). A Study of Aggression among Adolescents, *International Research Journal on Advanced Science Hub (IRJASH)*, Volume 03 Issue 01S January 2021. pp. 46-51
 - Yizhen, Y. and Junxia, S. (2006). Relationship Between Family Characteristics and Aggressive Behaviours of Children and Adolescents. *Journal of Science and Technology*. 26(3), 380–383

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION IN JNGBU

Manuscripts can be submitted three hard copies and/ or as an attachment through E-mail (jngbuald@gmail.com). Provision will also be made available for online submission in due course of time.

Authors Guideline:

The Journal publishes original research work, reviews, topical articles, hypothesis and short notes/ communications. The aim of the journal is to publish research from humanities to sciences/ applied sciences including that from multidisciplinary research area. It is essential that authors should prepare their manuscripts according to prescribed specifications. Failure to follow them may result in papers being delayed or rejected. Therefore, contributors are strongly encouraged to read these instructions carefully before preparing a manuscript for submission. Moreover, the manuscripts should be checked carefully to avoid grammatical errors.

All papers will be published after recommendation from the peer reviewers of the respective field.

TYPES OF MANUSCRIPTS:

Original research papers: Manuscripts should contain new experimental results in the field of research in elaborate form that constitute a significant contribution to advancement of knowledge. Research Papers should not exceed 10 typed pages.

Short notes/communications: Journal will accept a few papers as short communication which may be an important finding requiring wider and immediate dissemination among researchers. Papers in this category should present innovative findings in clear and brief form; limited to a maximum of 5 pages including illustrations and references.

Hypothesis: Authors may submit a paper on hypothesis with regard to interpretation, explanation and view point on a particular phenomenon or scientific / technical topic of general interest to the readers. The manuscript must clearly bring out the background of the problem and hypothesis put forward in this regard.

Review articles: Review papers should present an account of progress of research in a particular area and bring out the most important aspects of the topic under review. Care should be taken that the review article should not be a mere compilation of scattered research results, but it should make an interesting story of development of understanding in the particular field. The article should be limited to 10-12 typed pages.

Manuscript Structure: Prepare the manuscript in Times New Roman font using a font size of 12. Title shall be in a font size 14, bold face capitals. All section titles in the manuscript shall be in font size 12, bold face capitals. Subtitles in each section shall be in font size 12, bold face lower case. Standard International Units could be used throughout the text. Pages should not be numbered, manuscript should be starting with the title page and the text should be arranged in the following order:

1. Title page
2. Abstract
3. Introduction
4. Materials and Methods
5. Results (Figures, Table titles and legends must be submitted by excel sheet)
6. Discussion
7. Conclusion

Acknowledgements

References (must be in numerical in text as well as reference numbers should in [] bracket).

Title Page: The title must be as brief as possible, comprehensive and descriptive. Each author must provide their full name including their forenames and surname followed by their address in normal face lower case. The Corresponding Author of the manuscript must be marked with an asterisk, and should be listed first. In addition, the corresponding author must include telephone, fax and E-mail address at the bottom left corner of the title page. If any of the co-authors are from different organizations, their addresses too should be mentioned and indicated using numbers after their names.

Abstract: Should start on a new page after the title page and should present the rationale of the study, the main findings, and principal conclusions, not more than 250 words. All the three categories, Review Articles, Research papers and Short Communications should have an

Abstract. Keywords: 3-6 keywords are to be provided by the authors.

Introduction: Should start on a new page and should clearly indicate the aim/scope of the study.

Material and Methods: The section Material and Methods should include concise details on the methodology adopted; sufficient to repeat the experiment.

The statistical method and the level of significance chosen should be clearly stated.

Results: Authors should describe results in systematic manner. Description may be sub-sectionalized as required for clearer presentation of results obtained.

All results presented in tabular or graphical form should be described in this section. All Tables and figures must have a title and a legend to make them self-explanatory and they should be given numbers. Tables and Figures should be typed on separate excel format sheets have to be submitted.

Discussion: The discussion section should be presented in such a way that results provide an advancement of knowledge in the topic of research. Presentation should be logical and reference-based interpretation of the results. It should bring out whether the results are in support of or in contradiction to available accepted view point. Discussion must be concise and fluent presentation of rational interpretation of results obtained.

Conclusion: The principal conclusions of the study may be presented in clear statements based on the findings of the study.

References: References should be in the body of the text and must follow in accordance with the International Council of Documentations. The author surname followed by year, title of the manuscript, name of the journal, volume number and pages, e.g.:

[1] Ojha R. P., Rastogi M., Devi B. P., Aggarwal A. and Dubey G. P., Neuroprotective effect of curcuminoids against inflammation-mediated dopaminergic neurodegeneration in the MPTP model of Parkinson's Disease, *Journal of Neuroimmune Pharmacology*, 7(3), 2012, 609-618.

Language: English/Hindi

Acknowledgement: Author must acknowledge the funding source, technical assistance in performing the experiments and Experts who suggested/interpreted results in preparation of the manuscript.

Conflict of Interest: All authors are requested to disclose conflict of interest.

Figures and Tables: Manuscripts will be accepted with the understanding that the authors have obtained the necessary authority for publication from their university/institute including collaborators and co-authors. Authors must ensure that the articles submitted to JNGBU is understood to imply that it have not been submitted for publication in another journal. It will be the responsibilities of the authors to ensure originality of the research work. Plagiarism if noted or reported will be the sole responsibility of the contributors.

Manuscripts should be neatly typed, single-spaced format in Word format and tables, graphs, and figures in Excel Format. Manuscript should be typed in Times New Roman uniform size with at least 2.5 cm margins on left and right. CD of the manuscript together with hard copies should be submitted to Editorial office. The complete name and address of the Corresponding Author should be indicating on the top of page of the manuscript. Authors may also indicate the names of the potential Reviewers with their complete contact address. Only complete file in the above said format should be submitted to the E-mail of the Journal: jngbuald@gmail.com

Contacts: All correspondence should be addressed to-

Dr. Rudra P. Ojha (Ph.D.)

Editor-in-Chief, Nehru Gram Bharati Deemed University, Allahabad,

211002 U.P., India, [Email: jngbuald@gmail.com](mailto:jngbuald@gmail.com)

Web site: www.ngbv.ac.in

Contents

S.No.	Authors and Topics	Page No.
1.	A Study on Role of Rural Entrepreneurship in India: Problems and Challenges Indal Kumar	1
2.	The Relationship between Monetary Incentives and Job Performance Prof. Vinod Kumar Pandey and Raj Kumar Maurya	8
3.	Effect of MGNREGA on Development of Women Bhavna Gambhir and Prof. Vinod Kumar Pandey	15
4.	Prospects of the Electromagnetic Dalitz Decays of Charmonium Mesons Arti Mishra and V. Prasad	22
5.	बौद्ध कला में बाघ की मुफ़ाओं का महत्त्व..... विजय सिंह	34
6.	भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता..... सुभाष चन्द्र	38
7.	सांसाजिक-आध्यात्मिक मूल्यों के उजाले में सत कवि गुरुनानक देव की कविताओं का अवलोकन..... पवन कुमार रावत	48
8.	कबीर काव्य गौमांसा और प्रो० वासुदेव सिंह की दृष्टि..... शुभ नाचरण, डॉ० शिमांशु शेखर सिंह	54
9.	इन्कीसर्वी सदी के कहानीकारों के विविध विमर्श डॉ. उमेश चन्द्र	59
10.	कौशल भारत एवं ग्रामीण युवा..... डॉ. पुष्पांजलि पाल, मनोज कुमार	66
11.	क्षेत्र के अस्त्र पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में उनके आक्रामकता का अध्ययन 'आकक्षा मिश्रा एवं डॉ. श्रवण मिश्र	69